www.rashtratak.com
twitter.com/rashtratak
facebook.com/rashtratak
@rashtratak
मूल्य ₹ 89

राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका
नई दिल्ली से प्रकाशित

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304
वर्ष-13 ▪ अंक-04 ▪ जुलाई 2026 ▪ पृष्ठ संख्या 52

आपकी आवाज़...

एनडीए कुनबे में बढ़ गया अंदरूनी असंतोष 20
जातीय संतुलन से सजी यूपी बीजेपी की नई टीम 24

आस्था पर आघात

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के घर चोरी!

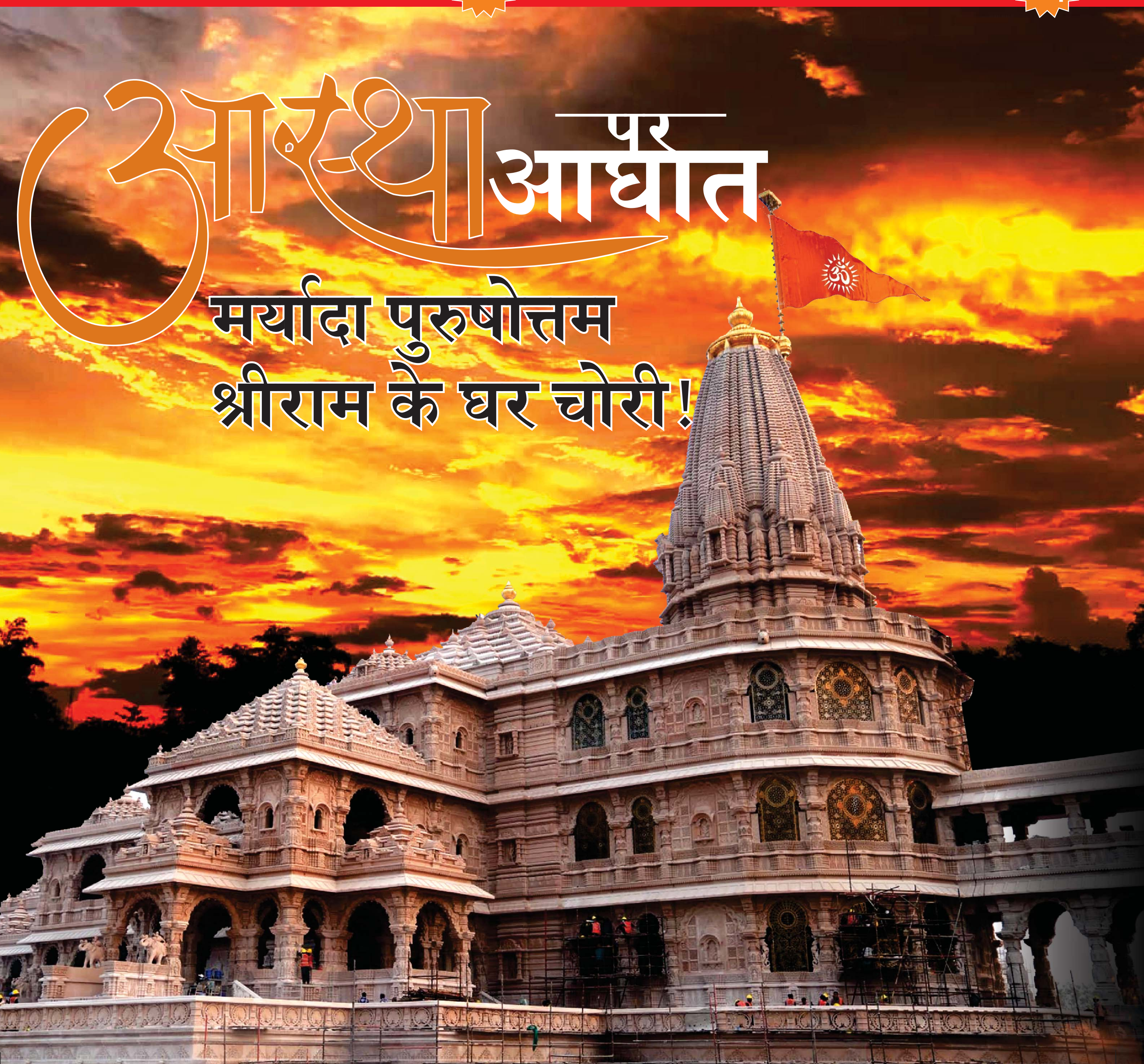

Bharat Petroleum

50 Years of Shaping The Future

shaping the energy of tomorrow

Bharat Petroleum, a Fortune Global 500 Company and India's second-largest Oil Marketing Company, is a leader in the integrated energy sector.

As a Maharatna enterprise, our refineries boast a combined capacity of 35.3 MMTPA, with a vast network comprising over 24,000 Energy Stations, 6,200 LPG distributorships, and more. Embracing sustainability, we are on a mission to offer electric vehicle charging at 7000 stations.

Committed to a Net Zero Energy future by 2040 in scope 1 & scope 2 emissions, we're not just an energy company; we're shaping a sustainable tomorrow.

Join us in Energising Lives and Building a Greener Planet!

Scan QR to know more

संपादकीय

प्रमोद तिवारी

इन ऐतिहासिक बदलावों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत यानी 362 सीटों की जरूरत होती है। सरकार इसी जादुई आंकड़े को छूने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ कर रही है। हालांकि, इतने सांसदों को जोड़ने के बाद भी सरकार अभी दो-तिहाई के आंकड़े से दूर है, जिससे विधायी स्तर पर उसकी राह अब भी आसान नहीं दिखती।

एनडीए में अंदरूनी असंतोष

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत का जाजुई आंकड़ा नहीं छू सकी थी। तब एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार का गठन किया था। सरकार को टिकाए रखने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। हाल के दिनों में विपक्षी खेमे, खासकर टीएमसी और शिवसेना, जैसे दलों से सांसदों के पाला बदलने के कारण अब एनडीए का आंकड़ा 313 के पार पहुंच चुका है। सीधे गणित से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इस सरकार को गिराना विपक्ष के लिए पूरी तरह असंभव है। सरकार गिरने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, इसलिए सरकार के पूरी तरह अस्थिर होने का दावा तकनीकी रूप से गलत साबित होता है। लेकिन असली पेंच सरकार के बने रहने का नहीं, बल्कि उसके कामकाज और आंतरिक तालमेल का है। सरकार का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के भीतर तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इस समय सबसे बड़ी अटकलें मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल को लेकर लगाई जा रही हैं। बाहर से आए दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें सरकार में जगह देनी होगी। इसकी वजह से मौजूदा कई मंत्रियों पर भारी दबाव देखा जा रहा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नए चेहरों को एडजस्ट करने के लिए कई पुराने और कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनसे भारी-भरकम मंत्रालय छीने जा सकते हैं। इस संभावित फेरबदल की वजह से मंत्रियों और मूल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की आग सुलगने लगी है। पुराने नेताओं को लगने लगा है कि बरसों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाने के बाद भी, ऐन मौके पर दलबदलुओं को तवज्जो दी जा रही है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण गठबंधन की छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दल अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर गहरे संकट और चिंता में हैं। दरअसल, जब एनडीए के पास 293 सीटें थीं, तब इन छोटे दलों की बैसाखियों के बिना सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती थी। लेकिन अब विपक्ष से आए सांसदों के कारण सरकार का अपना आंकड़ा 313 पार कर गया है।

इस नए समीकरण ने छोटे दलों की सौदेबाजी की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। उन्हें डर है कि भाजपा अब उनके क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज कर सकती है, जिससे उनके राज्यों में उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा।इस राजनीतिक उठापटक के बीच, हालिया विवादों ने सरकार की सुशासन की छवि पर भी दबाव बना दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला सामने आने से जहां एक तरफ धार्मिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा भूमि आवंटन का ताजा प्रकरण भी विपक्ष के हाथों में बड़ा मुद्दा बन गया है। इन दोनों ही गंभीर मामलों ने भाजपा को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, जिससे संगठन के भीतर का आपसी तनाव और अधिक गहरा गया है। इस पूरे दलबदल के पीछे सरकार की अपनी एक बड़ी रणनीति भी छिपी है।

राष्ट्र समाज

RNI No.: DELHIN/2014/56304 ₹ 89

वर्ष-13, अंक-04, जुलाई 2026

पृष्ठ संख्या-52

प्रेरणा स्रोत

स्व.पुरुषोत्तम तिवारी, स्व.एन.के. लोहिया

मुख्य संरक्षक

विनीत कुमार गुप्ता

संरक्षक

बालमुकुन्द ओझा, त्रिवेणी नाथ तिवारी, हरिशंकर दुबे, संजीव गोयल

संपादक

प्रमोद तिवारी

सह संपादक

सुशील ओझा,आनंद दीप श्रीवास्तव, आचार्य श्रीकांत तिवारी

सलाहकार समिति

अशोक गुप्ता (सकरनी) सभाजीत पांडेय, एम. के त्रिपाठी, विपिन गोयल, संजीव गोयल, ऋषि मित्तल

कानूनी सलाहकार

अधिवक्ता बीपी पाण्डेय, गौरव भारद्वाज

ब्यूरो चीफ

किरन ओझा, पुनीत मिश्र, अखिलेश शर्मा, बसंत भट्ट, हरीश तिवारी, अशोक शर्मा

प्रसार

पुनीत मिश्रा-9911882767

विज्ञापन

आशुतोष तिवारी- 83682 72439

डिजाइन व प्रोडक्शन

एनएम मीडिया सॉल्यूशंस, दिल्ली

संपादकीय कार्यालयः मकान नं. 2, पहली मंजिल, पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110087

दूरभाषः 011-40105158, 9953772767
वेब : www.railhumrahi.com

ई-मेल : rastrasamaj@gmail.com

स्वत्वाधिकारी अपराइट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक प्रमोद तिवारी द्वारा एस-561, ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली-84 से प्रकाशित तथा मित्तल इण्टरप्राइजेज 2016 गोकुल शाह स्ट्रीट सीता राम बाजार दिल्ली-06 से मुद्रित।

***संपादकः प्रमोद तिवारी ***

लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित

नोटः पत्रिका में प्रकाशित सभी लेखों आदि से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है, तथा किसी भी कानूनी वाद-विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय में ही किया जायेगा। राष्ट्र समाज पत्रिका में प्रकाशित सभी पद अवैतनिक हैं। पत्रिका के लिए भेजी गयी सामग्री के प्रकाशन पर पूर्व अनुबंध के बिना कोई भी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था नहीं है।

06

आस्था पर आघातः मर्यादा पुरूषोत्तम के घर में चोरी

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना या पत्थरों का ढांचा नहीं था; यह भारत की पुनर्जाग्रत सांस्कृतिक चेतना,...

10

एनकाउंटर या सीधा मर्डर?

बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव गहरे खौफ और सन्नाटे में डूबा हुआ है। 17 जून 2026 की सुबह इस गांव में जो कुछ भी हुआ, उसने बिहार पुलिस की साख पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है।

14

मोहन यादव जमीन विवादः

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्र में रखकर उपजा जमीन विवाद अब केवल भोपाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचकर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है।

अंदर

18

22

घर बैठे अखिलेश कैसे करेंगे बीजेपी के वोट में सेंधमारी

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कब तक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। वह क्यों अपने एयर कंडीशनर रूम से बाहर आकर जनता से संवाद नहीं करते हैं।

रिश्तों का कत्ल, समाज स्तब्ध!

पुणे के लोहगढ़ किले की ऊंची पहाड़ी से मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने के आरोप में सिया गोयल की गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इससे पहले मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान कथित तौर...

49

ईशा ने की पेरिस फैशन में शिरकत, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी फिल्मों या एक्टिंग से ज्यादा फैशन गेम्स को लेकर छाई रहती हैं। अब एक बार फिर से ईशा गुप्ता ने अपनी ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है।...

आस्था पर आघात

मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम के घर चोरी !

@ प्रमोद तिवारी

अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण केवल एक धार्मिक परियोजना या पत्थरों का ढांचा नहीं था; यह भारत की पुनर्जाग्रत सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और विश्वभर में फैले करोड़ों श्रद्धालुओं की सदियों पुरानी अटूट आस्था का मूर्त रूप है। इस भव्य मंदिर के निर्माण में देश-विदेश के असंख्य रामभक्तों ने अपनी श्रद्धा, अटूट विश्वास और गाढ़े पसीने की कमाई का अंश समर्पित किया है। किसी ने अपनी गुल्लक तोड़कर सौ रुपये दिए, किसी ने लाखों का गुप्त दान किया, तो किसी ने अपनी आर्थिक सामर्थ्य से कहीं आगे बढ़कर योगदान दिया। इन तमाम दानदाताओं के भीतर एक ही पवित्र भावना हिल्लोरे ले रही थी–प्रभु श्रीराम के चरणों में सर्वस्व समर्पण। यही कारण है कि यदि मंदिर निर्माण, भूमि सौदों या चंदे के उपयोग को लेकर किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, अपारदर्शिता या हेराफेरी के आरोप सामने आते हैं, तो यह मामला महज एक सामान्य आर्थिक विसंगति या 'कॉरपोरेट गवर्नेंस' का मुद्दा नहीं रह जाता। यह सीधे तौर पर करोड़ों लोगों की अंतरात्मा, उनके पावन विश्वास और संपूर्ण सनातन संस्कृति की नैतिक विश्वसनीयता पर एक गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक समाज के लिए अपनी सबसे बड़ी आस्था के केंद्र पर संदेह की सूक्ष्म छाया का पड़ना भी अत्यंत पीड़ादायक और विचलित करने वाली स्थिति होती है।

धर्म का वास्तविक आधार केवल भव्य पूजा-पद्धतियां, अनुष्ठान या बाहरी आडंबर नहीं हैं; बल्कि इसका असली प्राण सत्य, उच्च नैतिकता, ईमानदारी और सार्वजनिक उत्तरदायित्व में बसता है। भारतीय मनीषा और सनातन संस्कृति ने सदैव यही शिक्षा दी है कि ह्ययतो धर्मस्ततो जयःह्न और धर्म वहीं ठहर सकता है जहाँ सत्य का वास हो। जहाँ सत्य धुंधला पड़ता है, वहाँ धर्म का मूल ढांचा भी कमजोर होने लगता है। मयार्दा पुरुषोत्तम श्रीराम का संपूर्ण जीवन चरित्र ही न्याय, पूर्ण पारदर्शिता, वचनबद्धता और लोक-कल्याण के सर्वोच्च आदर्शों पर टिका है। ऐसे में, उनके नाम पर संचालित होने वाले किसी भी कार्य या ट्रस्ट से समाज की अपेक्षाएं किसी भी अन्य कॉर्पोरेट,

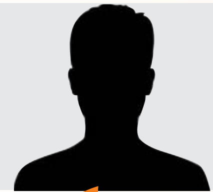

रामराज्य का मूल सिद्धांत ही 'लोकाराधन' यानी जनता के प्रति पूर्ण समर्पण और अटूट जवाबदेही है। जब माता सीता की पवित्रता को लेकर एक साधारण नागरिक ने संशय व्यक्त किया, तो प्रभु राम ने मयार्दा की रक्षा के लिए कठोरतम निर्णय लिया। आज उनके मंदिर के प्रबंधन में भी उसी मयार्दा और शुचिता की आवश्यकता है। यदि कोई संदेह उठता है, तो उसका उत्तर आक्रामकता से नहीं, बल्कि सत्यनिष्ठा, निष्पक्ष जांच व पारदर्शी आचरण से दिया जाना चाहिए। यही सनातन की वास्तविक मर्यादा है।

प्रो. वेदप्रकाश शास्त्री

सनातन संस्कृति के अध्येता एवं चिंतक

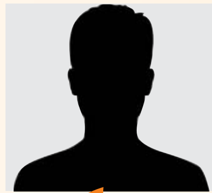

सार्वजनिक और धार्मिक ट्रस्टों में जनता का पैसा एक पवित्र अमानत की तरह होता है। श्रीराम मंदिर जैसे वैश्विक महत्व के केंद्र में वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह 'ओपन-सोर्स' और डिजिटल ऑडिट के अधीन किया जाना चाहिए। चंदे के एक-एक रुपये का हिसाब और भूमि खरीद से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में लाइव होने चाहिए। पारदर्शिता से भागने की बजाय उसे स्वेच्छा से अपनाना ही संस्थागत शुचिता का एकमात्र मार्ग है, जो सभी तरह के विवादों और आरोपों को स्वतः समाप्त कर देता है।

डॉ. अरविंद नारायण

धार्मिक ट्रस्ट मामलों के विशेषज्ञ एवं नीति विश्लेषक

सामाजिक या सरकारी संस्था की तुलना में कहीं अधिक होना स्वाभाविक है। यहाँ शुचिता का पैमाना सामान्य से कई गुना ऊंचा होना ही चाहिए। आज समय की मांग यह है कि ऐसे संवेदनशील आरोपों पर केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देने या आक्रामक रुख अपनाने की बजाय, तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित एक निष्पक्ष व परिपक्व दृष्टिकोण अपनाया जाए।

एक परिपक्व लोकतंत्र में किसी भी आरोप को बिना उचित और गहन जांच के अंतिम सत्य मान लेना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन इसके उलट, यदि गंभीर प्रकृति के आरोपों को पूरी तरह अनदेखा कर दिया जाए, या उन्हें केवल 'विरोधियों का षड्यंत्र' या 'छवि खराब करने की कोशिश' कहकर सिरे से खारिज कर दिया जाए, तो इससे आम जनमानस का संस्थाओं पर से विश्वास पूरी तरह उठ जाता है। अतः, अंध-विरोध और अंध-समर्थन, दोनों ही अतियों से बचना राष्ट्र और धर्म दोनों के हित में है।

यह अत्यंत विचारणीय पहलू है कि किसी भी बड़े धार्मिक ट्रस्ट का गठन बहुत स्पष्ट वैधानिक नियमों, कड़े वित्तीय अनुशासन, मानक संचालन प्रक्रिया, समयबद्ध लेखा-परीक्षा, मजबूत आंतरिक नियंत्रण और बहुस्तरीय निगरानी तंत्र के साथ किया जाता है। इसमें प्रत्येक पदाधिकारी की भूमिका और जवाबदेही पहले से तय होती है। यदि इन तमाम सुरक्षा चक्रों के बावजूद वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सार्वजनिक पटल पर आ रहे हैं, तो केवल आरोपित व्यक्तियों की भूमिका पर सवाल नहीं उठता, बल्कि उस पूरी निगरानी व्यवस्था और ऑडिटिंग की प्रभावशीलता की भी गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। जब तक व्यवस्थागत कमियों को चिन्हित कर उत्तरदायित्व तय नहीं किया जाएगा, तब तक संस्थागत

सुधार की कोई भी प्रक्रिया तार्किक परिणति तक नहीं पहुंच सकती। हमें यह भी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि श्रीराम मंदिर केवल भारत की सीमाओं तक सीमित विषय नहीं है। दुनिया के कोने-कोने में बसे प्रवासी भारतीयों और सनातन धर्मावलंबियों ने इस भव्य निर्माण को अपनी सांस्कृतिक पहचान, वैश्विक स्वाभिमान और आध्यात्मिक गौरव से जोड़कर देखा है। इसलिए, इस पावन धाम से जुड़ी प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना का सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। यदि किसी भी प्रकार की अपारदर्शिता या संशय की स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे केवल किसी एक ट्रस्ट या संस्था की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होती, बल्कि संपूर्ण सनातनी परंपरा की वैश्विक छवि पर अनावश्यक और तीखे प्रश्न उठने लगते हैं। ऐसे अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों का सबसे सटीक और प्रभावी उत्तर कोई रक्षात्मक या भावनात्मक तर्क नहीं हो सकता; इसका एकमात्र समाधान पूर्ण पारदर्शिता और सत्यनिष्ठ प्रशासन ही है।

यदि ये आरोप पूरी तरह निराधार और कपोल-कल्पित हैं, तो एक उच्च-स्तरीय, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इससे सारा भ्रम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और श्रद्धालुओं का विश्वास पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ होकर उभरेगा। इसके विपरीत, यदि जांच में किसी भी स्तर पर

कोई भी वित्तीय या प्रशासनिक गड़बड़ी सिद्ध होती है, तो दोषियों के विरुद्ध देश के कानून के अनुसार बिना किसी रियायत के कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी धार्मिक, सामाजिक या राष्ट्रीय संस्था की गरिमा और पवित्रता किन्हीं भी व्यक्तियों या पदाधिकारियों के कद से हमेशा बहुत बड़ी होती है। व्यक्ति आते-जाते रहते हैं, पद बदलते रहते हैं, लेकिन संस्था की साख और उससे जुड़ी जन-आस्था सदैव सर्वोपरि और अजर-अमर रहती है। भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक ढांचा हमें सिखाता है कि जवाबदेही किसी भी मजबूत संस्था की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है। पारदर्शिता से जन-विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास किसी भी धार्मिक या लोक-कल्याणकारी संस्था की सबसे अमूल्य पूंजी है। इसलिए, वर्तमान समय की पुरजोर मांग है कि श्रीराम मंदिर से जुड़े प्रत्येक वित्तीय लेन-देन, भूमि सौदों और प्रशासनिक निर्णयों को सूचना के अधिकार और सार्वजनिक डोमेन के इतना अनुकूल और पारदर्शी बना दिया जाए कि भविष्य में किसी भी प्रकार के संशय, विवाद या उंगली उठाने की कोई गुंजाइश ही न बचे।

जब किसी संस्था के साथ करोड़ों लोगों की आस्था और अरबों की पूंजी जुड़ जाती है, तो वहां पारंपरिक ऑडिटिंग के तरीके नाकाफी सिद्ध होते हैं। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट जैसी ऐतिहासिक संस्था को 'थर्ड-पार्टी फॉरेंसिक ऑडिट' और अंतरराष्ट्रीय गवर्नेंस मानकों को अपनाना चाहिए। किसी भी आरोप को दबाने या टालने से संस्था की साख गिरती है। स्वतंत्र जांच एजेंसियों के माध्यम से त्वरित जांच कराकर रिपोर्ट सार्वजनिक करना ही श्रद्धालुओं के विश्वास को अक्षुण्ण रखने का सबसे तार्किक और मजबूत प्रशासनिक तरीका है।

श्रीमती मीनाक्षी देसाई

वित्तीय सलाहकार एवं ट्रस्ट गवर्नेंस एक्टिविस्ट

आज आवश्यकता किसी राजनीतिक पक्ष या विपक्ष के पाले में खड़े होने की नहीं है, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ केवल और केवल सत्य के पक्ष में खड़े होने की है। क्योंकि सत्य ही श्रीराम का मार्ग है, निष्पक्ष न्याय ही उनका कालजयी संदेश है और कठोरतम मर्यादा ही उनकी वास्तविक पहचान है। यदि हम सच्चे अर्थों में राघवेंद्र सरकार के आदर्शों का सम्मान करना चाहते हैं, तो उनके मंदिर से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था को सत्य, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और सामाजिक न्याय के सर्वोच्च वैश्विक मानकों पर खरा उतरना ही होगा। श्रीराम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आत्मा और चेतना का केंद्र है। इसकी चिरंतन पवित्रता केवल इसके भव्य शिखरों या स्वर्ण द्वारों से नहीं, बल्कि इसके प्रबंधन से जुड़े प्रत्येक निर्णय की ईमानदारी और बेदाग पारदर्शिता से ही अक्षुण्ण रहेगी। यही सच्ची रामभक्ति है, यही सनातन की वास्तविक गरिमा है और यही लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का सर्वोत्तम उदाहरण भी।

एनकाउंटर या सीधा मर्डर?

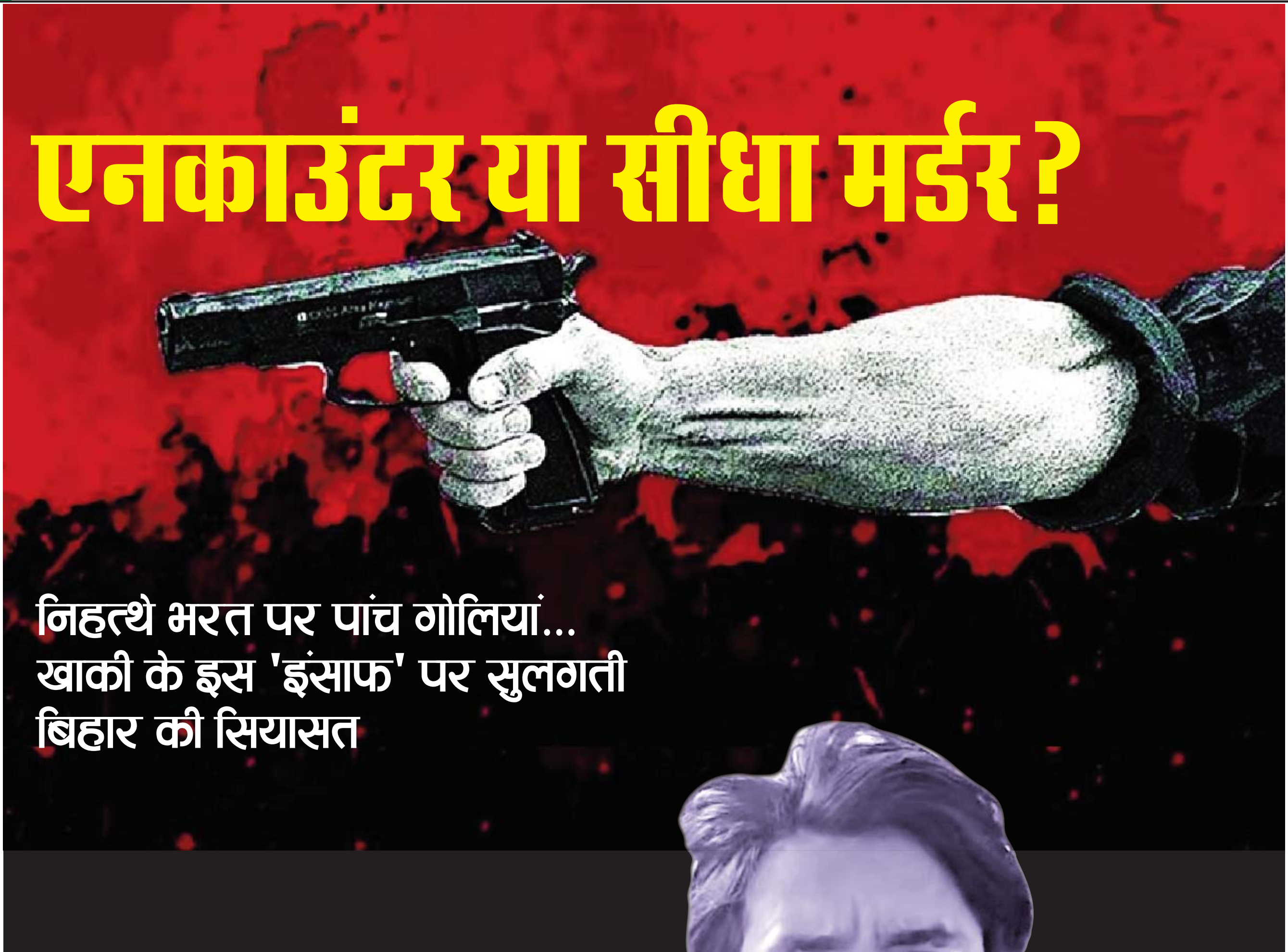

निहत्थे भरत पर पांच गोलियां... खाकी के इस 'इंसाफ' पर सुलगती बिहार की सियासत

@ राष्ट्र समाज

बिहार के भोजपुर जिले का बिलौटी गांव गहरे खौफ और सन्नाटे में डूबा हुआ है। 17 जून 2026 की सुबह इस गांव में जो कुछ भी हुआ, उसने बिहार पुलिस की साख पर बहुत बड़ा दाग लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि उसने आत्मरक्षा (खुद को बचाने) में एक अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। लेकिन जमीन पर मौजूद गवाह और मृतक के परिवार की आंखें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। यह कहानी है भरत भूषण तिवारी की, जिसे पुलिस की पांच गोलियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। इस घटना ने पूरे बिहार की राजनीति और कानून व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या बिहार में अपराधियों को पकड़ने का

> मेरा बेटा अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस वालों ने मेरे निहत्थे बेटे को घेरकर बेरहमी से मार डाला। वह तो आत्मसमर्पण करने को तैयार था, फिर भी उसे पांच गोलियां क्यों मारी गईं? मुझे पुलिस की किसी जांच पर भरोसा नहीं है। जिस अधिकारी ने मेरे बेटे को मारा, उसे सरकार ने दूसरी जगह बड़ी नौकरी दे दी। यह कैसा न्याय है? मेरी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि मेरे बेटे के हत्यारे पुलिसवालों को अदालत से फांसी की सजा मिले।
>
> **आशा देवी**
>
> मृतक भरत तिवारी की मां

> मैं उस वक्त वहीं मौजूद था जब यह सब हुआ। भरत तिवारी ने पुलिस की बात मानकर अपनी पिस्तौल दूर फेंक दी थी और वह सरेंडर कर रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। लेकिन पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पैर पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दीं। गोली मारने के बाद भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा, वे उसे पैर पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए। पुलिस का यह दावा बिल्कुल झूठा है कि भरत ने उन पर पहले गोली चलाई थी।
>
> **सुनील चौधरी**
>
> घटना के मुख्य चश्मदीद गवाह

मतलब उनका सीधे खात्मा करना हो गया है? क्या पुलिस अब खुद ही अदालत और खुद ही जल्लाद बन बैठी है?

पुलिस ने शुरूआत में दावा किया था कि अपराधियों की तरफ से गोलीबारी की गई थी, जिसके जवाब में पुलिस को भी गोलियां चलानी पड़ीं। लेकिन इस दावे की हवा तब निकल गई जब घटना के कुछ दिनों बाद गांव का ही एक चश्मदीद गवाह सुनील चौधरी सामने आया। सुनील ने कैमरे के सामने रोते हुए जो कहा, वह किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। सुनील के मुताबिक, भरत तिवारी और पुलिस के बीच बात चल रही थी। भरत ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की बात कही और अपना हथियार दूर फेंक दिया। वह बिल्कुल निहत्था हो चुका था। लेकिन जैसे ही उसने हथियार फेंका, पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया और बेहद करीब से ताबड़तोड़ पांच गोलियां मार दीं। गोली मारने के बाद पुलिस उसे पैर से घसीटते हुए गाड़ी तक ले गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी चश्मदीद के इस दावे से मेल खाती है। भरत के शरीर में सभी पांच गोलियां उसकी जांघों और पैरों के निचले हिस्से में मारी गई थीं। अगर पुलिस सिर्फ खुद को बचाना चाहती थी या उसे भागने से रोकना चाहती थी, तो आत्मसमर्पण कर चुके व्यक्ति पर इतने करीब से पांच बार गोली चलाने की क्या जरूरत थी?

कानून का राज या बंदूकों का इंसाफ?

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में स्पष्ट कहा है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जब एक कथित फर्जी एनकाउंटर के मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारियों को एफआईआर के बाद भी मनचाही पोस्टिंग से नवाजा जाता है, तो आम जनता का भरोसा न्याय प्रणाली से उठने लगता है। क्या बिहार में अपराधियों का खात्मा करने के नाम पर 'ट्रिगर हैप्पी' (गोली चलाने के शौकीन) पुलिस तंत्र को खुली छूट दे दी गई है? क्या भरत तिवारी की मां को कभी इंसाफ मिल पाएगा या यह केस भी फाइलों के अंबार और प्रशासनिक रसूख के नीचे दबा दिया जाएगा? यह सवाल आज बिहार की विवेकशील जनता और इस मासिक पत्रिका के पाठकों के सामने अनुत्तरित खड़ा है।

जंगलराज पार्ट-2

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने बिहार की विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इस घटना को लेकर सरकार की मंशा और बिहार की कानून व्यवस्था पर बेहद गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री चाहे जितने बड़े-बड़े दावे कर लें, लेकिन सच यह है कि राज्य में प्रशासनिक अराजकता चरम पर है। अपराधियों को पकड़ने में नाकाम बिहार पुलिस अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए निहत्थे युवाओं को फर्जी मुठभेड़ का शिकार बना रही है। बिलौटी में जो हुआ, वह एनकाउंटर नहीं बल्कि वर्दी की आड़ में सरेआम किया गया मर्डर है। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि हत्या के आरोपी डीएसपी को

भोजपुर के बिलौटी गांव में जो कुछ भी हुआ, वह कोई पुलिस एनकाउंटर नहीं है। यह साफ तौर पर कानून की आड़ में किया गया मर्डर है। मैं खुद पीड़ित परिवार से मिला हूँ और उनका दर्द बेहद परेशान करने वाला है। हमारी पार्टी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। मैं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मुलाकात करूँगा और मांग करूँगा कि इस घटना में शामिल सभी दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए।

चिराग पासवान

केंद्रीय मंत्री एवं अध्यक्ष, लोजपा-रामविलास

बिहार में कानून का राज होना चाहिए, बंदूकों का नहीं। अगर कोई आरोपी हथियार डाल चुका है और आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है, तो उस पर इस तरह से गोलियां चलाना पूरी तरह से गलत है। पुलिस का काम कानून की रक्षा करना है, खुद कानून को हाथ में लेना नहीं। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

जीतन राम मांझी

केंद्रीय मंत्री एवं संरक्षक, हम पार्टी

हमारी सरकार बिहार में किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करेगी। बिलौटी की घटना की जानकारी मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की देखरेख में न्यायिक जांच बिठा दी गई है। दोषी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह कोई अपराधी हो या पुलिस का बड़ा अधिकारी। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सम्राट चौधरी

उप-मुख्यमंत्री, बिहार सरकार

इनाम के तौर पर नई और मलाईदार पोस्टिंग दे दी गई। यह सरकार अपराधियों को सजा देने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। आरजेडी इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और नीतीश सरकार के इस 'जंगलराज पार्ट-2' का पदार्फाश करेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि बिहार में अब कानून का कोई राज नहीं बचा है। जब सरकार के अपने ही सहयोगी दल (चिराग पासवान और जीतन राम मांझी) इस घटना को मर्डर बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को तुरंत सामने आकर जनता को जवाब देना चाहिए। एक तरफ पीड़ित मां न्याय की भीख मांग रही है और दूसरी तरफ मुख्य आरोपी अधिकारी को वीआईपी ट्रीटमेंट देकर नया पद सौंप दिया जाता है। यह न्याय व्यवस्था का खुला मखौल है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में समय सीमा के भीतर हो, आरोपी पुलिसकर्मियों को तुरंत जेल भेजा जाए और पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा और उचित मुआवजा मिले।

आरोपी अधिकारी को इनाम

इस मामले पर जब जनता का गुस्सा भड़का और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक बात पहुंची, तो सरकार ने आनन-फानन में एक न्यायिक जांच का आदेश दे दिया। शाहपुर के थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया और जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा समेत अन्य पुलिसवालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। जिस अधिकारी राजेश कुमार शर्मा पर हत्या जैसी संगीन धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसे सजा देने या जेल भेजने के बजाय सरकार ने महज एक हफ्ते के भीतर 'मद्य निषेध विभाग' (शराबबंदी विभाग) में डीएसपी के पद पर नई और मलाईदार पोस्टिंग दे दी। सरकार के इस फैसले ने पीड़ित परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। लोग पूछ रहे हैं कि जिस पर हत्या का आरोप हो, उसे इतनी जल्दी दूसरी जगह बड़ा पद कैसे मिल गया? भरत तिवारी की मौत सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि इसने बिहार की एनडीए सरकार के भीतर ही एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। सरकार में शामिल चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे बड़े नेताओं ने अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहयोगियों के इस कड़े रुख के कारण अब मुख्यमंत्री सचिवालय के लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर 'जंगलराज' का आरोप लगा रहा है। क्या भरत तिवारी की बूढ़ी मां को कभी इंसाफ मिलेगा, या यह मामला भी पुलिस की फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरा बिहार ढूंढ रहा है।

राष्ट्रीय हिन्दी पत्रिका

राष्ट्र समाज

आप की आवाज

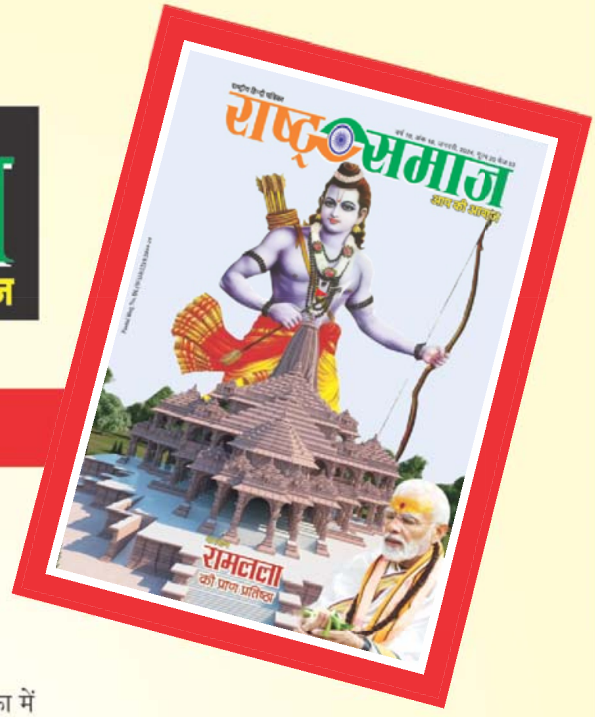

अपने बिजनेस को दें एक नई उड़ान

लगभग एक दशक से भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों के प्रचार-प्रसार में संलग्न राष्ट्रीय समाचार पत्रिका राष्ट्र समाज संपूर्ण रूप से एक पारिवारिक पत्रिका है। इसमें समाचार, विचार व सम सामयिक विषयों पर समीक्षात्मक आलेखों के साथ धर्म, दर्शन व अध्यात्म से जुड़े विषयों का समावेश है। पत्रिका में नियमित रूप से राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, साहित्य, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल, मनोरंजन व राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जनोपयोगी व रुचिकर सामग्री प्रकाशित की जाती है। अपने पत्रकारीय दायित्वों को समझते हुए राष्ट्र समाज जहां एक तरह राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ विकास की दौड़ में पिछड़ चुके शोषित व वंचित समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी पुरजोर आवाज देश के सामने बुलंद करता है।

यही कारण है कि राष्ट्र समाज पत्रिका समाज के हर वर्ग में समान रूप से लोकप्रिय है। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा व पश्चिम बंगाल समेत उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों के लगभग 35 हजार परिवारों तक राष्ट्र समाज की सीधी पहुंच है जिसे तकरीबन एक लाख से भी अधिक सम्मानित पाठक पढ़ते हैं। इतने बड़े पाठक समुदाय के साथ राष्ट्र समाज उचित भुगतान के साथ विज्ञापन व प्रचार-प्रसार के लिहाज से भी एक सशक्त मंच है।

Advertising Rates

FULL PAGE

HALF PAGE

HALF PAGE

QUARTER PAGE

BUSINESS CARD

First Inner And Last Inner	:	2,00,000
Page No. 5,7,9,11	:	1,50,000
Inside (Any Page)	:	1,00,000
Half Page	:	50,000
Quater Page	:	30,000
Business Card	:	16,000

BACK PAGE

2, 50,000

BHIM UPI

Scan using any BHIM UPI enabled APP

RASTRA SAMAJ

242394555001456@cnrb

केनरा बैंक Canara Bank

Canara · Bhim · Google Pay · PayTm · Phone Pe

मोहन यादव जमीन विवाद

500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में सीएम के सलाहकार के ट्रस्ट को दे दी: कांग्रेस

@ राष्ट्र समाज

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को केंद्र में रखकर उपजा जमीन विवाद अब केवल भोपाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचकर राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के गलियारों में एक बेहद आक्रामक और हाई-प्रोफाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसने मध्य प्रदेश से लेकर केंद्र तक की राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। विपक्ष ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और मुख्यमंत्री के खिलाफ तत्काल कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का सबसे संगीन और तीखा आरोप यह है कि उज्जैन शहर में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की बेशकीमती और प्राइम लोकेशन वाली सरकारी जमीन को महज 1 रुपये के मामूली टोकन अमाउंट पर मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार के एक निजी ट्रस्ट को सौंप दिया

> इस पूरे सौदे में सबसे ज्यादा संदेहास्पद और गंभीर सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि खरीदी गई इस कुल जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी लगभग 111 एकड़ भूमि, ठीक उसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां भविष्य में ऐतिहासिक 'सिंहस्थ कुंभ' का भव्य और वैश्विक आयोजन होना तय हुआ है।

गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं और प्रदेश नेतृत्व ने इसे सत्ता के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का एक बिल्कुल नया और संगठित मॉडल करार दिया है। इसके विपरीत, सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज और मनगढ़ंत बताते हुए इसे एक पिछड़े वर्ग से आने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की सोची-समझी और द्वेषपूर्ण राजनीतिक साजिश घोषित कर दिया है।

इस बड़े राजनैतिक हमले और खुलासे की बुनियादी कड़ियां एक अंग्रेजी अखबार की खोजी पत्रकारिता (इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट) पर टिकी हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया कि डॉ. मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने के बाद उनके परिवार, रिश्तेदारों और उनसे परोक्ष रूप से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों के मालिकाना हक में अभूतपूर्व तेजी आई है। आरोप के मुताबिक, उज्जैन और उसके आसपास के रणनीतिक इलाकों में लगभग 168 एकड़ जमीन (जिसमें करीब 137 अलग-अलग भूखंड शामिल हैं) की धड़ाधड़ खरीद-फरोख्त की गई। इस पूरे सौदे में सबसे ज्यादा संदेहास्पद और गंभीर सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि खरीदी गई इस कुल जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी लगभग 111 एकड़ भूमि, ठीक उसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है जहां भविष्य में ऐतिहासिक 'सिंहस्थ कुंभ' का भव्य और वैश्विक आयोजन होना तय हुआ है। इस पूरे इलाके को सरकार के 'मास्टर प्लान 2035' के तहत भारी-भरकम विकास परियोजनाओं के लिए पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। कांग्रेस ने इसी क्रोनोलॉजी को ढाल बनाकर सरकार को घेरा है और पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री बनते ही अचानक इतनी अकूत संपत्तियां खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन और धन का मुख्य स्रोत कहां से आया? क्या सरकार में बैठे लोगों को इन भावी विकास परियोजनाओं की अंदरूनी जानकारी पहले से थी? विपक्ष ने बेहद कड़े शब्दों में मांग की है कि यदि मुख्यमंत्री और उनका परिवार पूरी तरह पाक-साफ है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के इस पूरे मामले पर एक विस्तृत 'श्वेत पत्र' जारी करें और दूध का दूध व पानी का पानी करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक जांच का सामना करें।

इस चौतरफा और तीखे राजनीतिक हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार ने भी अपनी तरफ से तुरंत मोर्चा संभाला और बेहद आक्रामक अंदाज में पलटवार की रणनीति अपनाई। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस द्वारा पेश किए गए जमीन के सारे आंकड़ों और दावों को पूरी तरह काल्पनिक, भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास आज भी लगभग उतनी ही पैतृक और निजी भूमि मौजूद है, जितनी उन्होंने वर्ष 2023 के अपने विधानसभा चुनावी हलफनामे में पूरी पारदर्शिता के साथ घोषित की थी। भाजपा का सुदृढ़ दावा है कि उनके परिवार के पास जो भी संपत्तियां या जमीनें हैं, वे इस मास्टर प्लान के अस्तित्व में आने और उनके मुख्यमंत्री बनने से बहुत पहले की खरीदी हुई हैं, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार की कानूनी, प्रशासनिक या वित्तीय खामी ढूंढना केवल राजनीति से प्रेरित है। इसके साथ ही भाजपा ने कांग्रेस पर इस पूरे प्रशासनिक और कानूनी विवाद को जानबूझकर जातिगत रंग देने का एक बड़ा आरोप मढ़ दिया है। सत्तापक्ष का साफ कहना है कि कांग्रेस का यह पुराना इतिहास रहा है कि जब भी मध्य प्रदेश की धरती पर उमा भारती, शिवराज सिंह चौहान या अब डॉ. मोहन यादव जैसे पिछड़े वर्ग के कद्दावर नेताओं ने सत्ता की कमान संभाली है, तब-तब कांग्रेस ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर और अस्थिर करने के लिए हमेशा ऐसे ही बेबुनियाद और अनर्गल प्रलाप किए हैं। भाजपा की इस दलील पर पलटवार करते हुए कांग्रेस का स्पष्ट तर्क है कि किसी भी नेता का पिछड़े वर्ग से होना उसे किसी भी प्रकार की वित्तीय अपारदर्शिता या भ्रष्टाचार करने का सुरक्षा कवच या छूट प्रदान नहीं करता। बहरहाल, 'जाति के स्वाभिमान' बनाम 'संस्थागत भ्रष्टाचार' की यह जंग इस समय मध्य प्रदेश की पूरी फिजा को गरमा चुकी है और विपक्ष के लगातार बढ़ते आक्रामक दबाव के बीच अब पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह ऊंट किस करवट बैठता है।

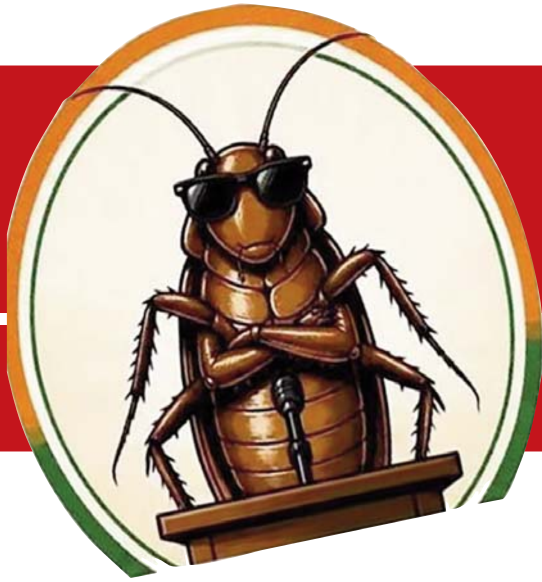

कॉकरोच जनता पार्टी

एक पीढ़ी का सवाल

@ राष्ट्र समाज

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अनेक ऐसे क्षण आए हैं जब व्यवस्था के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज ने अचानक राष्ट्रीय विमर्श का रूप ले लिया। कभी यह आवाज किसान आंदोलनों के रूप में सामने आई, कभी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों के रूप में और कभी युवाओं की आकांक्षाओं के रूप में। जंतर-मंतर पर दिखाई दिया कोकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी उसी परंपरा की एक नई कड़ी प्रतीत होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका जन्म किसी पारंपरिक राजनीतिक संगठन से नहीं, बल्कि व्यंग्य, सोशल मीडिया और युवाओं की निराशा से हुआ। यही कारण है कि इसे केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं, बल्कि समकालीन भारत की सामाजिक मनोदशा के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए।

कुछ समय पहले तक 'कोकरोच जनता पार्टी' नाम को अधिकांश लोग एक इंटरनेट व्यंग्य के रूप में देखते थे। किंतु इतिहास बताता है कि कई बार व्यंग्य ही सबसे गंभीर राजनीतिक प्रश्नों को जन्म देता है। व्यंग्य व्यवस्था की उन कमजोरियों को उजागर करता है जिन्हें सामान्य राजनीतिक भाषा अक्सर छिपा देती है। कोकरोच का प्रतीक भी इसी कारण महत्वपूर्ण है। यह उस जीव का प्रतीक है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहता है। आंदोलन से जुड़े युवाओं ने इसे उस भारतीय नागरिक का रूपक बनाया जो लगातार चुनौतियों, अनिश्चितताओं और निराशाओं के बावजूद अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता रहता है।

जंतर-मंतर पर हुए हालिया प्रदर्शन ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार संस्थानों ने रिपोर्ट किया कि बड़ी संख्या में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और युवा प्रदर्शन में शामिल हुए। उनकी मांगों का केंद्र शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, परीक्षा प्रबंधन की जवाबदेही और युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्न थे। प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। यह मांग केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि उस व्यापक भावना का प्रतीक थी जिसके अनुसार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही शीर्ष स्तर तक दिखाई देनी चाहिए।

इस आंदोलन को समझने के लिए भारत के वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को समझना आवश्यक है। भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। उनके लिए यह परीक्षाएं केवल नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक उम्मीदों का केंद्र होती हैं। अनेक परिवार अपनी सीमित आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर खर्च करते हैं। ऐसे में जब परीक्षा प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठते हैं, पेपर लीक की घटनाएं चर्चा में आती हैं या भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक लंबित रहती हैं, उसका प्रभाव केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भी होता है।

युवाओं के बीच बढ़ते असंतोष की जड़ें केवल एक परीक्षा या एक विवाद तक सीमित नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार, भर्ती प्रक्रियाओं की गति, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अवसरों की समानता को लेकर व्यापक बहस होती रही है। एक ओर देश तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति और आर्थिक प्रगति की बात करता है, दूसरी ओर लाखों युवा अपने भविष्य को लेकर

अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। यही विरोधाभास इस आंदोलन की ऊर्जा का स्रोत बनता दिखाई देता है।

कोकरोच जनता पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उसने युवाओं की इस बेचैनी को एक प्रतीकात्मक भाषा दी। पारंपरिक राजनीतिक दल अक्सर युवाओं की समस्याओं को चुनावी वादों तक सीमित कर देते हैं, किंतु यह आंदोलन प्रश्नों को केंद्र में रखता है। यह पूछता है कि यदि शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कमजोर पड़ रहा है तो उसे पुनर्स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी है। यदि भर्ती प्रक्रियाओं में देरी होती है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। यदि लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं, तो उनके समय और श्रम का मूल्यांकन कैसे होगा। ये प्रश्न किसी दल विशेष के नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की गुणवत्ता से जुड़े प्रश्न हैं।

इस आंदोलन का एक मनोवैज्ञानिक आयाम भी है। आधुनिक युवा केवल नौकरी नहीं चाहता, वह निष्पक्ष अवसर चाहता है। वह केवल चयन नहीं चाहता, बल्कि यह भरोसा भी चाहता है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायपूर्ण है। यदि यह भरोसा कमजोर पड़ता है, तो सामाजिक निराशा बढ़ती है। यही कारण है कि जंतर-मंतर पर दिखाई दिया विरोध केवल प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस अविश्वास के विरुद्ध भी था जो धीरे-धीरे संस्थाओं के प्रति विकसित हो सकता है।

लोकतंत्र की दृष्टि से देखें तो ऐसे आंदोलन व्यवस्था के लिए चेतावनी नहीं बल्कि अवसर होते हैं। वे बताते हैं कि समाज के किस हिस्से में असंतोष जमा हो रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यदि कोई सरकार या प्रशासन इन संकेतों को समय रहते समझ ले, तो कई समस्याओं का समाधान संवाद और सुधार के माध्यम से किया जा सकता है। जंतर-मंतर का प्रदर्शन इसी प्रकार का लोकतांत्रिक संकेत था। यह आक्रोश का प्रदर्शन अवश्य था, किंतु उससे अधिक यह जवाबदेही की मांग थी।

राजनीतिक विश्लेषण के स्तर पर यह आंदोलन एक और महत्वपूर्ण संकेत देता है। भारतीय राजनीति लंबे समय तक पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है, किंतु नई पीढ़ी के लिए शिक्षा, रोजगार, कौशल, अवसरों की समानता और संस्थागत दक्षता जैसे विषय तेजी से केंद्रीय मुद्दे बनते जा रहे हैं। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ती है, तो आने वाले वर्षों में राजनीति की प्राथमिकताएँ भी बदल सकती हैं। तब चुनावी विमर्श केवल भावनात्मक मुद्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रदर्शन और संस्थागत विश्वसनीयता भी महत्वपूर्ण कारक बनेंगे।

इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि शायद यही है कि इसने राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बदलने का प्रयास किया है। इसने यह संदेश दिया है कि युवा केवल दर्शक नहीं रहना चाहते। वे अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर सक्रिय भागीदारी चाहते हैं। वे चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास कायम रहे, भर्ती प्रक्रियाएँ समयबद्ध और पारदर्शी हों तथा अवसरों का वितरण निष्पक्ष हो। ये मांगें किसी विशेष विचारधारा की नहीं, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी अपेक्षाएँ हैं।

अंततः कोकरोच जनता पार्टी की कहानी व्यंग्य से आंदोलन तक पहुँचने की कहानी भर नहीं है। यह उस पीढ़ी की कहानी है जो अपनी मेहनत, अपने सपनों और अपने भविष्य के लिए जवाब मांग रही है। यह उस लोकतांत्रिक ऊर्जा की कहानी है जो सोशल मीडिया के एक प्रतीक से निकलकर सड़कों तक पहुँच गई।

इसे केवल विरोध के रूप में नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकेत के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यदि व्यवस्था इस संकेत को समझती है, तो यह आंदोलन केवल एक दिन की खबर नहीं रहेगा, बल्कि उन सुधारों की शुरूआत का आधार बन सकता है जिनकी मांग आज लाखों युवा कर रहे हैं। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि वह ऐसी आवाजों को सुन सके, उनसे संवाद कर सके और उन्हें परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा बना सके।

रिश्तों का कत्ल, समाज स्तब्ध!

@ ललित गर्ग

पुणे के लोहगढ़ किले की ऊंची पहाड़ी से मंगेतर केतन अग्रवाल को धक्का देकर हत्या करने के आरोप में सिया गोयल की गिरफ्तारी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इससे पहले मेघालय में इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान कथित तौर पर पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर की गई हत्या की घटना ने भी समाज को स्तब्ध किया था। रिश्तों के कत्ल और गहरे अविश्वास की इसी खौफनाक कड़ी में उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई एक और वारदात ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।

आगरा की रेणुकाधाम कॉलोनी में रूबी नाम की महिला ने अपने ही पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या की, शव को अपने ही घर के बाथरूम में दफन किया और उस पर सीमेंट का प्लास्टर चढ़वा दिया। विचलित करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद वह महिला न केवल गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर रोने का नाटक करती रही, बल्कि पूरे 45 दिनों तक उसी बाथरूम में लाश के ऊपर नहाती रही।

ये घटनाएं केवल अपराध की श्रेणी में रखकर भुला देने योग्य नहीं हैं। ये उन मूल्यों, विश्वासों और रिश्तों की बुनियाद पर गहरा आघात हैं, जिन पर भारतीय समाज सदियों से खड़ा रहा है। भारतीय संस्कृति में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो जीवन-दृष्टियों का मिलन माना गया है। विवाह को सात जन्मों का बंधन कहा गया है। ऐसे में यदि कोई पति, पत्नी, मंगेतर या प्रेमी एक-दूसरे को जीवन का साथी मानने के बजाय बाधा और कांटा समझने लगे, तो यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना के संकट का संकेत है।

राजा रघुवंशी, केतन अग्रवाल और सुरेंद्र शर्मा जैसे मामलों में सबसे अधिक विचलित करने वाला पक्ष यह है कि हत्याएं उन लोगों ने कीं, जिन पर सबसे अधिक विश्वास किया गया था। विश्वास का यह टूटना ही समाज को भीतर से भयभीत और खोखला करता है। किसी भी सभ्यता की असली शक्ति उसकी सैन्य या आर्थिक ताकत नहीं, बल्कि उसके रिश्तों में निहित भरोसा होता है। जब यह भरोसा ही मरने लगता है, तब समाज भीतर से बिखरने लगता है।

यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यदि कोई युवती या युवक किसी रिश्ते से संतुष्ट नहीं था, तो क्या उसके सामने ह्यनाह्न कहने का विकल्प नहीं था? आधुनिक समाज ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पर्याप्त स्थान दिया है। सगाई तोड़ना, विवाह से इनकार करना या आपसी सहमति से अलग होना—ये सभी वैधानिक और सामाजिक विकल्प हर किसी के पास उपलब्ध हैं। फिर अलगाव के बजाय हत्या जैसी भयावह और ठंडी मानसिकता क्यों जन्म ले रही है?

इस प्रश्न का उत्तर केवल कानून या पुलिस के पास नहीं है। इसके लिए समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, धर्माचार्यों और परिवार संस्थाओं को मिलकर मंथन करना होगा। आज का युवा एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है, जहां पारंपरिक मूल्य और आधुनिक जीवनशैली के बीच गहरा द्वंद्व मौजूद है। एक ओर परिवार की अपेक्षाएं हैं, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत इच्छाएं। संवाद के अभाव में यह द्वंद्व कई बार मानसिक तनाव, विद्रोह और अंततः हिंसा का रूप ले लेता है।

पिछले कुछ वर्षों में देश ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड, निक्की यादव हत्याकांड, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे महानगरों में प्रेम-संबंधों से जुड़े अनेक जघन्य अपराध देखे हैं। इन घटनाओं ने स्पष्ट किया है कि प्रेम, विवाह और संबंधों को लेकर समाज में गहरी अस्थिरता एवं अविश्वास बढ़ रहा है। यह अस्थिरता केवल किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों पक्षों में हिंसक प्रवृत्तियां बराबर दिखाई दे रही हैं। आगरा के मामले में भी मोहल्ले वालों का कहना था कि रूबी बहुत सीधी थी, लेकिन उसके इस सीधेपन के पीछे छिपी इतनी क्रूर मानसिकता ही आज की सबसे बड़ी सामाजिक त्रासदी है। जब इंसान के चेहरे और उसके भीतर के सच में इतना बड़ा फासला आ जाए, तो कोई किस पर भरोसा करे? 'घर' जैसी सबसे सुरक्षित और पवित्र जगह जब

एक ठंडे कत्लखाने में तब्दील होने लगे, तो समाज का कांपना लाजिमी है।

इस संकट को मोबाइल संस्कृति और डिजिटल संसार ने और ज्यादा जटिल बना दिया है। मोबाइल फोन, जो कभी दूरियों को समाप्त करने का माध्यम था, आज अनेक मामलों में षडयंत्र, छल और अपराध का औजार बनता जा रहा है। सोशल मीडिया ने तुलना, उपभोगवाद, त्वरित सुख और आभासी संबंधों को बढ़ावा दिया है। डिजिटल दुनिया में बने रिश्ते कई बार वास्तविक जीवन की जिम्मेदारियों और मर्यादाओं से पूरी तरह कटे होते हैं। परिणामस्वरूप धैर्य, सहनशीलता और त्याग जैसी पारिवारिक जीवन की आवश्यक विशेषताएं कमजोर पड़ती जा रही हैं।

एक अन्य गंभीर पक्ष सांप्रदायिक अविश्वास और तथाकथित 'लव जिहाद' जैसे विवादों के संदर्भ में भी सामने आता है। जब प्रेम या विवाह का उपयोग छल, पहचान छिपाने, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक शोषण अथवा भावनात्मक उत्पीड़न के लिए किया जाता है, तब केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समुदायों के बीच के विश्वास का भी हनन होता है। यह आवश्यक है कि किसी भी प्रकार के संबंध पारदर्शिता, स्वेच्छा, समानता और ईमानदारी पर आधारित हों। पहचान छिपाकर या किसी वैचारिक एजेंडे के तहत बनाए गए संबंध सामाजिक सौहार्द को गहरी चोट पहुंचाते हैं।

लेकिन इस विषय पर एक संतुलित दृष्टिकोण रखना भी उतना ही आवश्यक है। कुछ घटनाओं के आधार पर किसी सम्पूर्ण समुदाय को दोषी ठहराना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि सामाजिक सद्भाव के लिए भी घातक है। भारत की असली शक्ति उसकी विविधता और सांप्रदायिक सौहार्द में ही निहित है। सदियों से विभिन्न धर्मों, जातियों और संस्कृतियों के लोग यहाँ पारस्परिक सम्मान के साथ रहते आए हैं। अतः किसी भी अपराध को अपराधी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि पूरे समुदाय की पहचान के रूप में। हमें प्रेम के नाम पर होने वाले छल का विरोध तो पुरजोर तरीके से करना चाहिए, लेकिन साथ ही सामाजिक सौहार्द और मानवीय एकता को भी अक्षुण्ण रखना होगा।

आज सबसे बड़ी चुनौती हमारी 'परिवार संस्था' को पुनः सशक्त बनाने की है। संयुक्त परिवारों के विघटन, महानगरीय जीवन, अकेलेपन और अत्यधिक व्यस्तता ने परिवार के भीतर के संवाद को लगभग खत्म कर दिया है। माता-पिता और बच्चों के बीच संवादहीनता लगातार बढ़ रही है। बच्चों को भौतिक सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन भावनात्मक सुरक्षा और मूल्यपरक संस्कार कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। इसके साथ ही, प्रशासनिक लापरवाही के कारण अस्पतालों और स्कूलों में होने वाले हादसे, बढ़ता नशा, उपभोक्तावाद और अंधी प्रतिस्पर्धा की आंधी ने संयम, सादगी और पारिवारिक मर्यादाओं जैसे जीवन-मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया है। जब समाज में व्यक्ति अपने स्वार्थ, वासना और तात्कालिक सुख को ही सर्वोच्च मानने लगता है, तब रिश्ते साधना नहीं, बल्कि महज एक सौदा बनकर रह जाते हैं।

यही कारण है कि आज विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में केवल रोजगारपरक शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है। वहां जीवन-कौशल, नैतिक शिक्षा, भावनात्मक संतुलन, संबंध प्रबंधन और पारिवारिक मूल्यों पर भी गंभीर कार्य होना चाहिए। युवा पीढ़ी को यह गहराई से समझाना होगा कि प्रेम का अर्थ अधिकार नहीं बल्कि उत्तरदायित्व है, संबंध का अर्थ उपभोग नहीं बल्कि समर्पण है और मतभेद का समाधान हिंसा नहीं बल्कि संवाद है।

इस कार्य में धर्म व आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों ने सदैव चरित्र, नैतिकता और आत्मानुशासन को ही समाज की आधारशिला माना। यदि हमारी धार्मिक संस्थाएं युवा पीढ़ी को मानवीय मूल्यों, आत्मसंयम और संवाद की संस्कृति से जोड़ें, तो अनेक सामाजिक विकृतियों को समय रहते रोका जा सकता है। पुणे, मेघालय और आगरा की इन खौफनाक घटनाओं ने हमें अंतिम चेतावनी दी है कि यदि हम अभी नहीं चेते, तो रिश्तों का यह संकट हमारी सभ्यता को लील जाएगा।

इस बात की है कि हम परिवार, समाज व राष्ट्र–तीनों स्तरों पर विश्वास की पुनर्स्थापना का एक बड़ा अभियान चलाएं। परिवारों में संवाद बढ़े, युवाओं को निर्णय की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी का बोध कराया जाए, डिजिटल संस्कृति पर संयम हो व सामाजिक सौहार्द को मजबूत बनाया जाए।

किसी भी सभ्यता की पहचान उसकी ऊंची इमारतों, तकनीकी प्रगति या आर्थिक समृद्धि से नहीं होती; उसकी पहचान इस बात से होती है कि वहां लोग एक-दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। यदि यह भरोसा ही टूट गया, तो समाज की आत्मा घायल हो जाएगी। इसलिए आज का सबसे बड़ा राष्ट्रीय दायित्व है–रिश्तों के भरोसे को बचाना, मानवीय संवेदनाओं को पुनर्जीवित करना और प्रेम, विश्वास तथा सौहार्द की उस सनातन परंपरा को मजबूत करना, जिसने भारतीय समाज को सदियों से जीवंत बनाए रखा है।

एनडीए कुनबे में बढ़ गया अंदरूनी

नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दल अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर गहरे संकट और चिंता में हैं। दरअसल, जब एनडीए के पास 293 सीटें थीं, तब इन छोटे दलों की बैसाखियों के बिना सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती थी। लेकिन अब विपक्ष से आए सांसदों के कारण सरकार का अपना आंकड़ा 313 पार कर गया है।

@ दिलीप कुमार पाठक

भारतीय राजनीति में इस समय एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सांसदों की टूट-फूट से सत्ताधारी एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सरकार पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन जब हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और संसद के आंकड़ों की गहराई में जाते हैं, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। बाहर से ताकतवर दिख रही इस सरकार के भीतर तनाव की एक नई लहर दौड़ गई है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत का जाजुई आंकड़ा नहीं छू सकी थी। तब एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार का गठन किया था। सरकार को टिकाए रखने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। हाल के दिनों में विपक्षी खेमे, खासकर टीएमसी और शिवसेना, जैसे दलों से सांसदों के पाला बदलने के कारण अब एनडीए का आंकड़ा 313 के पार पहुंच चुका है। सीधे गणित से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इस सरकार को गिराना विपक्ष के लिए पूरी तरह असंभव है। सरकार गिरने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, इसलिए सरकार के पूरी तरह अस्थिर होने का दावा तकनीकी रूप से गलत साबित होता है। लेकिन असली पेंच सरकार के बने रहने का नहीं, बल्कि उसके कामकाज और आंतरिक तालमेल का है। सरकार का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के भीतर तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इस समय सबसे बड़ी अटकलें मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल को लेकर लगाई जा रही हैं। बाहर से आए दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें सरकार में जगह देनी होगी। इसकी वजह से मौजूदा कई मंत्रियों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नए चेहरों को एडजस्ट करने के

असंतोष

लिए कई पुराने और कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनसे भारी-भरकम मंत्रालय छीने जा सकते हैं। इस संभावित फेरबदल की वजह से मंत्रियों और मूल पार्टी कार्यकताओं के बीच असंतोष की आग सुलगने लगी है। पुराने नेताओं को लगने लगा है कि बरसों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाने के बाद भी, ऐन मौके पर दलबदलुओं को तवज्जो दी जा रही है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण गठबंधन की छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दल अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर गहरे संकट और चिंता में हैं। दरअसल, जब एनडीए के पास 293 सीटें थीं, तब इन छोटे दलों की बैसाखियों के बिना सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती थी। लेकिन अब विपक्ष से आए सांसदों के कारण सरकार का अपना आंकड़ा 313 पार कर गया है। इस नए समीकरण ने छोटे दलों की सौदेबाजी की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। उन्हें डर है कि भाजपा अब उनके क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज कर सकती है, जिससे उनके राज्यों में उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा।इस राजनीतिक उठापटक के बीच, हालिया विवादों ने सरकार की सुशासन की छवि पर भी दबाव बना दिया है।

अयोध्या में राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला सामने आने से जहां एक तरफ धार्मिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा भूमि आवंटन का ताजा प्रकरण भी विपक्ष के हाथों में बड़ा मुद्दा बन गया है। इन दोनों ही गंभीर मामलों ने भाजपा को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, जिससे संगठन के भीतर का आपसी तनाव और अधिक गहरा गया है। इस पूरे दलबदल के पीछे सरकार की अपनी एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। सरकार संसद में मनमाने और कड़े बिल पारित कराना चाहती है। भाजपा का मुख्य एजेंडा सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि परिसीमन और ह्यएक देश, एक चुनावह्ल जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को लागू करना है। इन ऐतिहासिक बदलावों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत यानी 362 सीटों की जरूरत होती है। सरकार इसी जादुई आंकड़े को छूने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ कर रही है। हालांकि, इतने सांसदों को जोड़ने के बाद भी सरकार अभी दो-तिहाई के आंकड़े से दूर है, जिससे विधायी स्तर पर उसकी राह अब भी आसान नहीं दिखती। कुल मिलाकर देखें तो यह दावा पूरी तरह सही है कि सांसदों के आने से एनडीए का संख्या बल तो बढ़ा है, लेकिन सरकार के भीतर आंतरिक तनाव और असंतोष अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। सरकार की उम्र भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन मंत्रियों की कुर्सी छिनने का डर, पुराने नेताओं की नाराजगी, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का संकट और हालिया भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार की राजनीतिक स्थिरता को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं।

घर बैठे अखिलेश कैसे करेंगे बीजेपी के वोट में सेंधमारी

@ संजय सक्सेना

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कब तक सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे। वह क्यों अपने एयर कंडीशनर रूम से बाहर आकर जनता से संवाद नहीं करते हैं। बिना हाथ-पैर हिलाए और चलाए अखिलेश कभी मोदी तो कभी योगी सरकार पर हर उस मुद्दे के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि बीजेपी के वोट बैंक में वह सेंधमारी कर सकते हैं। आज तक अयोध्या जाकर प्रभु श्री रामलला के दर्शन नहीं करने वाले अखिलेश यादव चंदा चोरी के नाम पर चोरी के आरोपियों को नहीं, योगी-मोदी सरकार को ज्यादा कोस रहे हैं। लेकिन वह यह भूल गए हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर नहीं है। सपा की सरकार के समय चाहे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह रहे हों या फिर अखिलेश यादव, मुस्लिम तुष्टिकरण की सियासत में ही लगे रहते थे। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने से परहेज नहीं करते थे। मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाने से परहेज नहीं किया, और बाद में यहां तक कहा कि इससे अधिक हम (मुलायम) मुसलमानों के लिए क्या कर सकते थे। तो अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान पीड़ितों का धर्म देखकर सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा देने का आदेश जारी किया था। आतंकवादियों के मुकदमों वापस लेने जैसा शर्मनाक कारनामा भी अखिलेश सरकार में ही हुआ था। सपा मुखिया मुसलमानों को खुश करने के लिए कब्रिस्तान में सरकारी धन पानी की तरह बहाते थे।

समाजवादी गुंडों ने लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती पर कैसे जानलेवा हमला किया था, यह जगजाहिर है। इस हमले में अतीक अहमद जैसा माफिया भी शामिल था। व्यक्तिगत रूप से भी अखिलेश ने कई बार मयार्दाएं तोड़ने में देरी नहीं की। अपने पिता के साथ भरे मंच पर अभद्रता, चाचा शिवपाल को बार-बार अपमानित करने का आरोप भी अखिलेश यादव पर लगा हुआ है। यह और बात है कि समाजवादियों और उनके मुखिया को यह सब याद नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा चंदा चोरी मामले को आस्था से इतर जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उससे समाजवादी पार्टी को किस तरह से सियासी फायदा मिल सकता है। यह यक्ष प्रश्न है। फिलहाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजकल हर उस मुद्दे पर त्वरित प्रतिक्रिया आती है, हर विवाद पर उनका बयान तैयार रहता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मंच पर की जाने वाली यह राजनीति जमीनी हकीकत से जुड़ी है? क्या केवल कमरे में बैठकर किए गए संदेशों से जनता का दिल जीता जा सकता है? राजनीति के जानकार मानते हैं कि जो नेता जनता के बीच जाकर संवाद नहीं करता, वह केवल अपने समर्थकों को संबोधित करता रहता है, नए मतदाताओं तक उसकी पहुंच नहीं बन पाती।

अखिलेश की रणनीति स्पष्ट दिखती है। जब भी कोई ऐसा मुद्दा उठता है जिससे भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं में दरार डाली जा सके, वे तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की, उनके निशाने पर दोनों रहते हैं। यह राजनीतिक चालाकी तो है, लेकिन इसमें एक खोखलापन भी है। जो नेता स्वयं अपने कार्यकाल में जनहित के कार्य न कर पाया हो, वह दूसरों की कमियां गिनाकर कितने समय तक अपनी राजनीति चमका सकता

है, यह विचारणीय है। चंदा चोरी के ताजे विवाद को लेकर अखिलेश यादव जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, उसमें एक सोची-समझी रणनीति नजर आती है। इस मामले को आस्था और धर्म से परे ले जाकर उन्होंने इसे सरकारी विफलता का प्रतीक बनाने की कोशिश की है। उनका तर्क है कि यदि सरकार सक्षम होती तो श्रद्धालुओं के साथ ऐसा धोखा न होता। इस तर्क में एक सतही आकर्षण है जो सामान्य मतदाता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो बात वे नहीं कहते, वह यह है कि स्वयं उन्होंने आज तक अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन नहीं किए। जिस मंदिर और उस नगरी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है, उसके प्रति उनका यह व्यवहार उनकी मानसिकता को उजागर करता है।

बहरहाल, चंदा चोरी के इस मामले को राजनीतिक रंग देने से समाजवादी पार्टी को कुछ सीमित लाभ अवश्य मिल सकता है। पहला, इससे उनका वह मतदाता वर्ग और मजबूती से जुड़ सकता है जो पहले से ही सत्तारूढ़ दल से नाराज है। दूसरा, जो लोग इस घटना से सीधे प्रभावित हुए हैं या जिनके परिचित प्रभावित हुए हैं, उनमें से कुछ सपा की ओर झुक सकते हैं। तीसरा, इस विषय को उठाकर वे यह संदेश देने की कोशिश करते हैं कि वे आम आदमी की पीड़ा के साथ खड़े हैं। परंतु इस रणनीति की एक बड़ी सीमा भी है। जब कोई नेता हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखता है, तो जनता धीरे-

धीरे उसकी नीयत को पहचान लेती है। आस्था के मामले में राजनीति करना उल्टा भी पड़ सकता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां धार्मिक भावनाएं बहुत गहरी हैं। वैसे भी समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व का इतिहास विवाद के मामले में बहुत उज्ज्वल नहीं रहा है। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस घटना में अनेक निर्दोष श्रद्धालुओं की जान गई थी। बाद में मुलायम सिंह ने स्वयं कहा था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जो किया, उससे अधिक और क्या किया जा सकता था। यह बयान उनकी राजनीतिक प्राथमिकताओं को साफ-साफ बता देता है। हिंदू श्रद्धालुओं की जान लेकर एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने की यह राजनीति समाजवादी पार्टी की पहचान बन गई थी।

अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री काल में भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया गया। मुजफ्फरनगर दंगों के समय पीड़ितों को मुआवजा देने में धर्म के आधार पर भेदभाव किए जाने के गंभीर आरोप उन पर लगे। जो हिंदू परिवार उस हिंसा में पीड़ित हुए, उन्हें सरकारी सहायता से वंचित रखा गया, ऐसा आरोप विपक्ष ने बार-बार लगाया। इससे भी आगे बढ़कर उनकी सरकार में आतंकवादियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई, जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था।

इस शर्मनाक कारनामे को कोई भी देशभक्त नागरिक भूल नहीं सकता। कब्रिस्तानों के निर्माण और रखरखाव पर सरकारी धन का अत्यधिक व्यय करना भी उनकी तुष्टिकरण की नीति का हिस्सा था। इन सबके बावजूद अखिलेश यादव अपनी पार्टी को प्रासंगिक बनाए रखने में कुछ हद तक सफल रहे हैं। इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो भाजपा का विकल्प चाहता है। इस शून्य को भरने की कोशिश में अखिलेश यादव हर उस मुद्दे को हाथ लगाते हैं जो सत्तारूढ़ दल के लिए असहज हो। चंदा चोरी का मामला भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इससे उन्हें अल्पकालिक राजनीतिक लाभ मिल सकता है, परंतु दीर्घकालिक विश्वसनीयता के लिए उन्हें अपने अतीत की कालिख से मुक्ति पानी होगी।

@ राष्ट्र समाज

जातीय संतुलन से सजी यूपी बीजेपी की नई टीम

उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिख रही है। पार्टी ने जिस तरह ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित और अलग-अलग इलाकों से जुड़े चेहरों को जगह दी है, उससे यह संदेश दिया जा रहा है कि संगठन केवल एक वर्ग या एक क्षेत्र के सहारे नहीं चलेगा, बल्कि हर बड़े सामाजिक समूह को साथ लेकर आगे बढ़ने की रणनीति बनाई जा रही है। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी तेज है कि नई टीम के गठन में प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा राष्ट्रीय नेतृत्व के भरोसेमंद रणनीतिकार सुनील बंसल की छाप नजर आती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ संगठनात्मक फेरबदल नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने की कवायद भी माना जा रहा है।

भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में जीत सिर्फ नारे से नहीं, बल्कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और बूथ स्तर की पकड़ से तय होती है।जनसाधारण के नजरिये से देखें तो पार्टी ने ब्राह्मणों की नाराजगी को भी गंभीरता से लेने की कोशिश की है। नई टीम में इस वर्ग को अपेक्षाकृत अच्छी जगह देकर भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी एक सामाजिक आधार को कमजोर नहीं होने देगी। इससे यह भी माना जा रहा है कि पार्टी पुराने भरोसेमंद मतदाताओं को फिर से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, क्योंकि चुनाव के समय संगठन का यह संतुलन बहुत मायने रखता है।सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं में यह बात भी उठ रही है कि सुनील बंसल की भूमिका अब भी उतनी ही अहम है, जितनी पहले थी। वे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज को गहराई से समझते हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में उनकी रणनीति की बड़ी भूमिका मानी गई थी। इसीलिए नई टीम को देखकर बहुत से लोग इसे उसी पुराने संगठनात्मक मॉडल की वापसी के रूप में देख रहे हैं, जिसमें नीचे तक पकड़, सामाजिक गणित और लगातार संवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं।

इसी संदर्भ में संदीप बंसल का नाम भी चर्चा में आ रहा है। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग मान रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वे भी प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इसका कारण यह है कि भाजपा अब ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाने की तैयारी में दिख रही है जो संगठन, वर्ग-संतुलन और चुनावी प्रबंधन तीनों में काम आ सकें। यदि यह प्रवृत्ति आगे बढ़ी, तो संदीप बंसल जैसे नेताओं की उपयोगिता और बढ़ सकती है। नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि उसमें केवल चेहरों का नहीं, बल्कि संदेशों का भी संतुलन साधा गया है। एक तरफ पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह सभी बड़े समाजों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ यह भरोसा भी देना चाहती है कि चुनावी प्रबंधन पहले की तरह मजबूत हाथों में है।जनता के बीच भी यही धारणा बनती है कि भाजपा संगठन को हल्के में नहीं लेती और हर बड़े चुनाव से पहले अपनी व्यवस्था को फिर से कसती है।

खैर, उत्तर प्रदेश भाजपा की नई टीम में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को खास तौर पर साधने की कोशिश दिखाई दी है। पार्टी ने 19 प्रदेश उपाध्यक्ष, 8 प्रदेश महामंत्री और 19 प्रदेश मंत्रियों के साथ पूरी कार्यकारिणी को नए

नई टीम की सबसे बड़ी खासियत यही मानी जा रही है कि उसमें केवल चेहरों का नहीं, बल्कि संदेशों का भी संतुलन साधा गया है। एक तरफ पार्टी यह दिखाना चाहती है कि वह सभी बड़े समाजों को साथ लेकर चल रही है, दूसरी तरफ यह भरोसा भी देना चाहती है कि चुनावी प्रबंधन पहले की तरह मजबूत हाथों में है।

सिरे से सजा दिया है, जिसमें ब्राह्मण, पिछड़ा, दलित, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और अवध-कानपुर जैसे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ध्यान से रखा गया है. प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची में सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है. इनमें सुरेश राणा, सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर सिंह, डॉ. धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल, देवेश कोरी, प्रियंका रावत, दुर्विजय शाक्य, रमेश सिंह, नीरज सिंह, अर्चना मिश्रा, पूजा पाल, शंकर गिरी, कामेश्वर सिंह, डॉ. कृतिका अग्रवाल, सुरेश मौर्य, राजेश यादव, कृष्ण बिहारी राय और आलोक गुप्ता जैसे नाम अलग-अलग सामाजिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि का संदेश देते हैं.

प्रदेश महामंत्रियों में रामप्रताप सिंह चौहान, गीता शाक्य, अभिजात मिश्रा, उपेंद्र रावत, संजय राय, शंकर लोधी, दिलीप पटेल और राजेश चौधरी को जगह मिली है. इन नामों के जरिए पार्टी ने ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है. यह भी संकेत मिलता है कि संगठन में केवल पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं किया गया, बल्कि चुनावी प्रबंधन में काम आ सकने वाले मिश्रित नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है.

प्रदेश मंत्रियों की सूची भी इसी सामाजिक गणित को आगे बढ़ाती है, जो नाम प्रमुखता से सामने आए हैं, उनमें शंकर गिरी, डॉ. चंद्रमोहन सिंह, मीना चौबे, अंजुला सिंह माहौर, विजय शिवहरे, शंकर लोधी, शकुंतला चौहान, अनामिका चौधरी, पूनम बजाज, अर्चना मिश्रा, अमित बाल्मीकि, बसंत त्यागी, शिवभूषण सिंह, सुरेश पासी, अभिजात मिश्रा और डीपी भारती शामिल हैं. इन नियुक्तियों से पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि संगठन में हर बड़े सामाजिक वर्ग को हिस्सेदारी दी जा रही है. क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा भी इस फेरबदल का अहम हिस्सा रही।

कुल मिलाकर यह नई टीम केवल पदों का बंटवारा नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने वाला संगठनात्मक ढांचा मानी जा रही है. पार्टी ने सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और चुनावी प्रबंधन तीनों को एक साथ साधने की कोशिश की है.जाति के हिसाब से देखें तो इस सूची में ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, शाक्य, लोधी, सैनी, पासी, बाल्मीकि, शाक्य, मौर्य, रावत, कोरी, चौहान, जाटव और अन्य पिछड़े-दलित समुदायों की मौजूदगी साफ दिखती है. यही वजह है कि इसे महज संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश वाली टीम माना जा रहा है.

बहरहाल, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भाजपा के सामने अलग-अलग चुनौतियां हैं। शहरों में विकास, रोजगार और प्रशासनिक छवि मुद्दा बनते हैं, जबकि गांवों में जातीय तालमेल, स्थानीय नेतृत्व और कार्यकताओं की सक्रियता निर्णायक होती है। नई टीम का गठन इन्हीं दोनों स्तरों पर एक साथ असर डालने की कोशिश लगता है। इसलिए इसमें ऐसे चेहरों को महत्व दिया गया है जो अपने-अपने इलाकों में पकड़ रखते हों और समाज के अलग-अलग हिस्सों को साध सकें।जनमानस में यह भी देखा जाता है कि भाजपा जब किसी नामचीन रणनीतिकार की छाप वाली टीम बनाती है, तो उसका मतलब केवल पदों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि आने वाले चुनाव की रूपरेखा भी साथ-साथ बनती है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में यह फामूर्ला कई बार कारगर रहा है। यहाँ संगठन की मजबूती, जातीय गणित और नेतृत्व का भरोसा, तीनों मिलकर चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए नई टीम को लेकर उम्मीद और चर्चा, दोनों एक साथ चल रही हैं।

लब्बोलुआब यह है कि भाजपा की नई प्रदेश टीम को जनता इस नजर से देख रही है कि क्या यह टीम वास्तव में सभी वर्गों को साथ लेकर चलेगी, क्या ब्राह्मणों और अन्य नाराज तबकों का भरोसा वापस जीत पाएगी, और क्या सुनील बंसल की रणनीतिक छाप एक बार फिर पार्टी को लाभ दिला सकेगी। अभी इतना साफ है कि पार्टी ने संदेश बहुत सोच-समझकर दिया है और आने वाले महीनों में इसी टीम की परीक्षा जमीन पर होगी।

दागी नेताओं से मुक्ति जरूरी

@ राष्ट्र समाज

भारतीय लोकतंत्र ने स्वतंत्रता के बाद अनेक उपलब्धियां अर्जित की हैं। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति होने के साथ-साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य के साथ देश आर्थिक, तकनीकी और वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। किंतु यह भी उतना ही बड़ा सत्य है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी अर्थव्यवस्था, सैन्य क्षमता अथवा तकनीकी विकास में नहीं, बल्कि उसकी राजनीति और शासन व्यवस्था की नैतिकता में निहित होती है। यदि लोकतंत्र की आत्मा को जीवित रखना है तो राजनीति को अपराध, भ्रष्टाचार और स्वार्थ की गिरफ्त से मुक्त करना ही होगा। आजादी के बाद से लगभग हर सरकार ने भ्रष्टाचार-मुक्त शासन, पारदर्शी प्रशासन और स्वच्छ राजनीति का वादा किया। अनेक आयोग बने, कानून बने और चुनाव सुधारों की चर्चाएं भी हुईं, लेकिन जब भी कोई ठोस एवं प्रभावी सुधार लागू करने का प्रयास हुआ, राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हितों के अनुसार उसका समर्थन अथवा विरोध किया। परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक शुचिता का प्रश्न आज भी अधूरा है। विडंबना यह है कि अब तक कोई ऐसा खाका सामने नहीं आ सका है, जिससे सिर्फ स्वच्छ छवि के लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनने का अवसर मिले। यह और बड़ी विडम्बना है कि जिस विषय पर पूरे राष्ट्र की सहमति होनी चाहिए, वही विषय राजनीतिक टकराव का माध्यम बन जाता है। आए दिन संसद व विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि से आने के बावजूद चुने

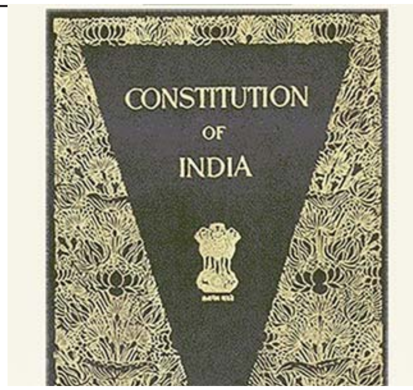

गए जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता तो जताई जाती है, मगर उसके हल को लेकर कोई ठोस पहल नहीं होती। संविधान के तहत केवल दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों को ही पद से हटाया जा सकता है और इस संबंध में संवैधानिक पद पर बैठे नेताओं को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसी संदर्भ में भाजपा सरकार फिर से एक सौ तीसवें संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को पाँच साल से ज्यादा सजा के प्रावधान वाले गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार किए जाने और लगातार तीस दिनों तक हिरासत में रखे जाने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। अगर विधेयक की जांच के बाद संयुक्त संसदीय समिति इसे अपनी मंजूरी दे देती है, तो संसद के मानसून सत्र में इस पर बहस की संभावना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष अगस्त में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई कई आपत्तियों के बाद इसकी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था, लेकिन कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दलों ने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने की आशंका के मद्देनजर समिति का बहिष्कार कर दिया था।

निश्चित ही संसद और विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की बढ़ती संख्या लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। यदि कोई जनप्रतिनिधि हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद अथवा संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में है, तो क्या वह जनता का प्रतिनिधित्व करने का नैतिक अधिकार बनाए रखता है? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नैतिकता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हालांकि इस प्रकार के कानून पर कई संवैधानिक प्रश्न भी उठते हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को तब तक निर्दोष मानता है जब तक अपराध सिद्ध न हो जाए। केवल आरोप के आधार पर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को पद से हटाना राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार भी बन सकता है। विपक्षी दलों की यह आशंका पूरी तरह निराधार नहीं कही जा सकती कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं होंगे तो सत्ता में बैठी सरकारें विरोधियों के विरुद्ध जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिए किसी भी नए कानून में प्राकृतिक न्याय, न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष जांच की सुदृढ़ व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन इन आशंकाओं के कारण सुधार की पूरी प्रक्रिया को रोक देना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में सुधार का अर्थ किसी दल को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करना है। यदि कानून संतुलित, पारदर्शी और न्यायसंगत हो तो वह लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि अधिक विश्वसनीय बनाता है।

भारत की राजनीति में अनेक ऐसे उदाहरण सामने आए हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाए। बिहार में लालू प्रसाद यादव से लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तथा उनके कुछ मंत्रियों तक, विभिन्न राजनीतिक दलों के अनेक नेता ऐसे रहे हैं जो गंभीर आरोपों अथवा जेल में रहने के बावजूद सत्ता पर बने रहने का प्रयास करते रहे। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है, लगभग सभी बड़े राजनीतिक दल समय-समय पर इस आलोचना के घेरे में रहे हैं। जेल से सरकार चलाने अथवा संवैधानिक पद पर बने रहने की मानसिकता लोकतंत्र की गरिमा के अनुकूल नहीं कही जा सकती। यह सही है कि कानून अपना कार्य करेगा और न्यायालय अंतिम निर्णय देगा, किंतु सार्वजनिक जीवन केवल कानूनी वैधता से नहीं चलता, उसका आधार नैतिक वैधता भी होती है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि केवल अधिकारों का नहीं, बल्कि आदर्शों का भी प्रतीक होता है। यदि उसके ऊपर गंभीर आरोप हों और वह फिर भी पद से चिपका रहे, जनता का लोकतांत्रिक विश्वास कमजोर पड़ता है। राजनीति में पद त्यागना पराजय नहीं, नैतिक साहस का परिचायक होता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें आर्थिक प्रगति के साथ सुशासन, डिजिटल पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन व जन भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है। विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस-वे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तेज आर्थिक विकास से नहीं बनेगा, वह तभी बनेगा जब शासन चलाने वाले व्यक्तियों की विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र की राजनीति भी विश्व के लिए आदर्श बननी चाहिए। केवल कानून बदलने की नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति बदलने की भी है। राजनीतिक दलों को चुनावी टिकट देते समय उम्मीदवार के चरित्र, सार्वजनिक जीवन, सामाजिक सेवा और नैतिक छवि को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कई बार राजनीतिक दलों से आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट देने का कारण सार्वजनिक करने को कह चुका है, किंतु व्यवहार में इसमें अपेक्षित परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यदि राजनीतिक दल स्वयं आत्मानुशासन नहीं अपनाएंगे, तो केवल कानून से समस्या का समाधान संभव नहीं होगा।

इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी व्यापक सुधार अपेक्षित हैं। जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का वर्षों तक लंबित रहना लोकतंत्र के लिए घातक है। विशेष न्यायालयों द्वारा समयबद्ध सुनवाई, निष्पक्ष जांच और शीघ्र निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि न निर्दोष व्यक्ति वर्षों तक संदेह के घेरे में रहे और न दोषी व्यक्ति कानून की तकनीकी जटिलताओं का लाभ उठाकर जनता का प्रतिनिधित्व करता रहे। लोकतंत्र की सफलता केवल संविधान से नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र से सुनिश्चित होती है। जब तक राजनीति में नैतिकता, सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व की भावना नहीं आएगी, तब तक भ्रष्टाचार और अपराध का दुष्चक्र पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े सुधारों का विरोध केवल राजनीतिक लाभ-हानि के आधार पर नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रस्ताव में कमियां हैं तो उन्हें सुधारने के सुझाव दिए जाएं, लेकिन सुधार की दिशा को अवरुद्ध करना लोकतांत्रिक परिपक्वता का परिचायक नहीं माना जा सकता।

भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। एक ओर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्वगुरु भारत का स्वप्न है, तो दूसरी ओर राजनीति की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की चुनौती भी है। इन दोनों लक्ष्यों को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता। आर्थिक विकास और नैतिक विकास समानांतर चलेंगे तभी राष्ट्र सशक्त बनेगा। समय की पुकार है कि सत्ता और विपक्ष दोनों दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर लोकतंत्र की पवित्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। देश की राजनीति को आपराधिक छवि के लोगों से मुक्त करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए जो कानून बने, उसमें अपराधों की प्रकृति स्पष्ट किए जाने से लेकर ऐसे सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है, ताकि महज बदले या किसी सरकार को अस्थिर करने की मंशा से इसका दुरुपयोग न हो सके।

चिंताजनक है महंगी दवाइयां

@ राष्ट्र समाज

भारत आज विकसित राष्ट्र बनने के स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना बार-बार दोहराई जा रही है। बड़े-बड़े बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष उपलब्धियां और आर्थिक विकास के दावों के बीच एक प्रश्न बार-बार सामने खड़ा हो जाता है-क्या ऐसा भारत वास्तव में विकसित कहलाएगा, जहां एक सामान्य नागरिक बीमारी के कारण कर्ज में डूबने को विवश हो जाए? जहां इलाज और दवाइयों की बढ़ती कीमतें जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय करने लगें? जहां स्वास्थ्य सेवा अधिकार नहीं, बल्कि आर्थिक सामर्थ्य का विषय बन जाए? ऐसे समय में जब महंगाई पहले ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं और टीकों की कीमतों में भारी वृद्धि की अनुमति देना गंभीर चिंता का विषय है। कैंसर की कुछ दवाओं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के आवश्यक टीकों की कीमतों में लगभग पचास प्रतिशत तक वृद्धि की स्वीकृति ने लाखों परिवारों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। यह निर्णय केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवीय संवेदना और जनकल्याणकारी शासन की अवधारणा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश में बड़ी संख्या में लोग आज भी अपने इलाज का खर्च अपनी जेब से वहन करते हैं। बीमारी केवल स्वास्थ्य संकट नहीं रह जाती, वह आर्थिक संकट में भी बदल जाती है। एक समय था जब कहा जाता था कि व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के कारण कर्ज में डूबता है, लेकिन आज की स्थिति यह है कि किसी गंभीर बीमारी का इलाज पूरा परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद कर सकता है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग या अन्य जटिल बीमारियों का उपचार लाखों रुपये की मांग करता है। ऐसे में यदि जीवनरक्षक दवाइयों की कीमतें भी लगातार बढ़ती रहें तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवा लगभग असंभव हो जाएगी। एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कीमत बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में वृद्धि और बाजार में संभावित कमी का तर्क दिया है। उनका कहना है कि यदि दवा कंपनियां लागत भी नहीं निकाल पाएंगी तो वे उत्पादन बंद कर सकती हैं, जिससे मरीजों को आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। यह तर्क अपनी जगह सही हो सकता है। किसी भी उद्योग को जीवित रहने के लिए उचित लाभ आवश्यक है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या जीवनरक्षक दवाओं को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है? क्या स्वास्थ्य क्षेत्र में लाभ कमाने की सीमा और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया जाना चाहिए?

स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से भारत में इन दोनों क्षेत्रों में व्यवसायीकरण का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। निजी अस्पतालों की बढ़ती फीस, महंगे परीक्षण, अनावश्यक जांचें, चिकित्सा उपकरणों का भारी खर्च और अब दवाइयों की बढ़ती कीमतें मिलकर आम नागरिक को असहाय बना रही हैं। चिकित्सा सेवा धीरे-धीरे सेवा के बजाय उद्योग में परिवर्तित होती दिखाई दे रही है। अस्पताल

स्वास्थ्य केंद्र कम और कॉरपोरेट प्रतिष्ठान अधिक प्रतीत होने लगे हैं। रोगी अब मरीज नहीं, बल्कि ग्राहक की तरह देखा जाने लगा है। यह स्थिति केवल आर्थिक असमानता को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि सामाजिक विभाजन को भी गहरा करती है। आज भी देश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुख्यतः उन्हीं लोगों को उपलब्ध हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। गरीब व्यक्ति सरकारी अस्पतालों की लंबी कतारों, सीमित संसाधनों और अपर्याप्त सुविधाओं के भरोसे है। अमीर व्यक्ति अत्याधुनिक अस्पतालों और महंगे उपचारों का लाभ उठा सकता है। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही वह भारत है जिसकी कल्पना स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक जनहितकारी योजनाएं लागू हुई हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजना ने लाखों लोगों को राहत भी प्रदान की है। जन औषधि केंद्रों की स्थापना ने सस्ती दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया है। लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में व्याप्त व्यापक विसंगतियां अभी भी बनी हुई हैं। यदि दवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और निजी स्वास्थ्य सेवाएं अनियंत्रित होती जाएं, तो इन योजनाओं का प्रभाव सीमित हो जाएगा। वास्तविक चुनौती यह है कि स्वास्थ्य को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ने के बजाय उसे जनकल्याण के केंद्र में रखा जाए। सरकार का दायित्व केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों पर विशेष नियंत्रण होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। दवा खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आवश्यक दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष सहायता और सब्सिडी भी दे सकती है, ताकि लागत बढ़ने का पूरा बोझ मरीजों पर न पड़े।

इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और व्यापक होना चाहिए। अनेक गरीब और निम्न मध्यमवर्गीय परिवार ऐसे हैं जो किसी भी बीमा सुरक्षा से वंचित हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में वे अपनी जीवनभर की जमा पूंजी गंवा देते हैं। स्वास्थ्य बीमा केवल अस्पताल में भर्ती होने तक सीमित न रहे, बल्कि आवश्यक दवाओं और दीर्घकालिक उपचार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि सरकार समय-समय पर दवा कंपनियों की लागत संरचना और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्र समीक्षा कराए। यदि वास्तव में लागत बढ़ी है तो उसका प्रमाण सार्वजनिक होना चाहिए। पारदर्शिता से जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और अनावश्यक मूल्यवृद्धि पर भी रोक लगेगी। स्वास्थ्य नीति का मूल उद्देश्य कंपनियों के लाभ और नागरिकों के अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करना होना चाहिए।

वर्ष 2047 का विकसित भारत केवल ऊंची इमारतों, तेज रफ्तार सड़कों और बढ़ती जीडीपी से नहीं बनेगा। उसका वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होगा कि वहां का सबसे गरीब नागरिक कितना सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ है। यदि एक किसान, मजदूर, कर्मचारी या निम्न आय वर्ग का व्यक्ति बीमारी के समय सम्मानपूर्वक इलाज प्राप्त नहीं कर सकता, तो विकास के दावे अधूरे रह जाएंगे। आज आवश्यकता केवल दवाइयों की कीमतों पर बहस करने की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की समग्र समीक्षा करने की है। यह स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य कोई विलासिता नहीं, बल्कि मौलिक मानवीय अधिकार है। जिस राष्ट्र में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अवसर नहीं मिलता, वहां विकास की चमक भी फीकी पड़ जाती है। समय आ गया है कि सरकार, नीति-निमार्ता, चिकित्सा जगत और समाज मिलकर यह सुनिश्चित करें कि स्वास्थ्य सेवा लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनसेवा का सशक्त उपकरण बने। अन्यथा विकसित भारत का सपना केवल आंकड़ों में चमकेगा, जबकि आम आदमी बीमारी, कर्ज और असहायता के अंधकार में संघर्ष करता रहेगा। स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ते भारत के सामने यही सबसे बड़ी नैतिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान आज ही तलाशना होगा।

नागरिकता के उलझे तारों में फंसा आम आदमी

@ अजय कुमार

भारत में नागरिकता को लेकर चल रही हालिया बहस ने एक ऐसी गहरी कानूनी और सामाजिक पहेली को जन्म दिया है, जिसे सुलझाना अब आम नागरिक के लिए अनिवार्य हो गया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा दिवस पर जो स्पष्टीकरण दिया, उसने देश भर के मध्यम वर्ग में खलबली मचा दी है। मंत्रालय ने दो टूक शब्दों में कहा कि पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं। सुनने में यह तकनीकी लगता है, लेकिन इसकी गहराई में उतरने पर पता चलता है कि हमारी पहचान को लेकर जो सुरक्षा का बोध था, वह कितना कच्चा है। आज के दौर में जब हर गली-नुक्कड़ पर घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेजों से नागरिकता हासिल करने की खबरें सुर्खियां बन रही हैं, तब यह सवाल पूछना लाजमी है कि आखिर भारत की नागरिकता का असली आधार क्या है? क्या हम उस सुरक्षा चक्रव्यूह में फंसे हैं, जहाँ कागजों की बाजीगरी किसी को भी भारतीय बना सकती है और किसी को भी बेघर? इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का 'नेक्सस' (गठजोड़) बेहद व्यवस्थित और खतरनाक है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले में जो पैटर्न सामने आया है, वह बताता है कि कैसे स्थानीय मदद से पहले आधार कार्ड बनवाया जाता है, उसके आधार पर वोटर आईडी और अंत में पासपोर्ट। हाल के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि केवल 2025 में ही भारत ने करीब 1.39 करोड़ पासपोर्ट जारी किए। इतनी बड़ी संख्या में पासपोर्ट जारी करने वाली मशीनरी के भीतर जब फजीर्वाड़े की गुंजाइश बचती है, तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे चुनौती देती है। घुसपैठिये अक्सर स्थानीय बिचौलियों की मदद से उन इलाकों में अपनी जड़ें जमाते हैं जहां

दस्तावेज बनवाना आसान होता है। एक बार आधार बन गया, वह नाम और पते की पहचान बन जाता है। इसी पहचान के दम पर वे वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते हैं फिर 'भारत के नागरिक'के रूप में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर देते हैं। खेल में पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी कभी-कभी सतही साबित होती है, जिसका फायदा उठाकर ये लोग भारतीय होने का कानूनी मुखौटा पहन लेते हैं।

कानूनी रूप से यह स्थिति और भी पेचीदा है। 1955 का नागरिकता कानून स्पष्ट करता है कि नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण या प्राकृतिक तरीके से मिलती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देश की 99.99 फीसदी आबादी के पास कोई ऐसा 'सिंगल कार्ड' नहीं है जिसे वे 'नागरिकता का प्रमाण पत्र' कह सकें। आधार कार्ड नागरिकता नहीं देता, यह केवल निवास का प्रमाण है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक ने कई बार दोहराया है। वोटर आईडी भी केवल चुनावी सूची का हिस्सा होने का प्रमाण है। जब विदेश मंत्रालय यह कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है, तो वह केवल कानून का पाठ पढ़ा रहा होता है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए यह बयान उसकी पूरी अस्मिता पर प्रहार जैसा महसूस होता है। इस बहस की कड़ियों को अगर 2019 के सीएए-एनआरसी के दौर से जोड़कर देखें, तो डर स्वाभाविक है। उस समय सरकार ने कहा था कि जन्म की तारीख और जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज जमा करके नागरिकता साबित की जा सकती है, लेकिन कोई तय लिस्ट जारी नहीं की गई थी। अब अगर भविष्य में देशव्यापी एनआरसी लागू होता है, तो वह 'पासपोर्ट धारी' नागरिक भी सकते में है जिसे लगता था कि उसके पास सरकार का ही दिया दस्तावेज है। सच तो यह है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत भी केंद्र सरकार कुछ मामलों में गैर-नागरिकों को भी यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। यानी, आपके हाथ में मौजूद पासपोर्ट आपकी भारतीयता का दावा तो करता है, लेकिन किसी कानूनी विवाद या एनआरसी जैसी प्रक्रिया के दौरान वह आपको 'अंतिम नागरिक' घोषित करने की गारंटी नहीं देता।

यही वह जगह है जहां आम आदमी के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। जब तक आप पर कोई कानूनी आंच नहीं आती, तब तक पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी के साथ आप पूरे भारत में स्वतंत्र घूम सकते हैं। लेकिन, अगर कभी 'कागज दिखाने' की नौबत आई जैसा कि असम में हुआ तो वहां के 19 लाख से अधिक लोगों के आवेदन खारिज हो गए थे। असम एनआरसी की प्रक्रिया ने दिखाया कि कैसे दशकों से रह रहे लोग भी सरकारी फाइलों में 'विदेशी' हो सकते हैं यदि उनके पास 1971 से पहले की लीगेसी (विरासत) के ठोस दस्तावेज न हों। भारत के बाकी हिस्सों में स्थिति थोड़ी अलग है, लेकिन कानूनी ढांचा वही है। यदि पासपोर्ट को ही अंतिम प्रमाण नहीं माना जा रहा, तो वह साधारण गरीब व्यक्ति क्या करेगा जिसके पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास पैतृक जमीन के पुराने रिकॉर्ड नहीं हैं, और जो केवल एक सामान्य पासपोर्ट या आधार के सहारे अपना जीवन बिता रहा है? यह विवाद केवल कागजों का नहीं है, यह उस भरोसे का है जो एक नागरिक का अपनी सरकार के साथ होता है। विपक्षी दल इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं, जबकि सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है। लेकिन इस बहस के बीच में जो 'सच्चाई' दबी हुई है, वह यह है कि भारत में नागरिकता 'अधिकार' से ज्यादा 'सिद्ध करने की जिम्मेदारी' बन गई है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 9 के तहत सबूत पेश करने का जिम्मा नागरिक का है, राज्य का नहीं। यानी, राज्य कभी भी आपसे आपकी नागरिकता मांग सकता है, और उस दिन पासपोर्ट या आधार केवल मददगार साबित हो सकते हैं, निर्णायक नहीं।

अंततः, नागरिकता का असली प्रमाण तो वही 'जन्म की श्रृंखला' है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। लेकिन आधुनिक दौर की भीड़भाड़ और फर्जीवाड़े के बीच, सरकार का यह स्पष्टीकरण एक चेतावनी भी है अपने पुराने दस्तावेजों को सहेज कर रखें। सिर्फ एक कार्ड के भरोसे न रहें। जिस तरह घुसपैठिये नेक्सस का इस्तेमाल कर सिस्टम में घुस रहे हैं, उससे निपटने के लिए सरकार भले ही कड़े नियम बनाए, लेकिन उस चक्कर में आम नागरिक को एक ऐसी अंतहीन कागजी दौड़ में नहीं धकेला जाना चाहिए जिसका कोई अंत न हो। पासपोर्ट आपकी राष्ट्रीयता की पहचान है, और इसे और अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाना विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है ताकि फर्जी पासपोर्ट के आधार पर कोई भी इस देश का नागरिक न बन सके। आखिर में, भारतीयता सिर्फ कागजों की मोहताज नहीं है, पर इस डिजिटल युग में कागज ही आपकी पहचान की नींव हैं। इस नींव को मजबूत रखना, हर भारतीय की अपनी सुरक्षा के लिए पहली शर्त बन गई है।

@ राष्ट्र समाज

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यतः पीएम 2.5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है- भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली-एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे-धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उपभोग की वर्तमान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विचार करना होगा।

दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है।

आज दिल्ली-एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण

ओजोन प्रदूषण की चुनौती

का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है।

आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है।

ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा।

समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा।

दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सामूहिक उत्तरदायित्व की है। यदि हम स्वच्छ हवा चाहते हैं तो केवल प्रदूषण कम करने की योजनाएँ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित विकास की नई संस्कृति विकसित करनी होगी। अन्यथा ओजोन जैसी अदृश्य गैसें हमारे शहरों को धीरे-धीरे बीमार करती रहेंगी और विकास का यह मॉडल स्वयं मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

प्रयागराज के बहाने पूर्वांचल साधने की कोशिश

भाजपा के नए संगठन में बढ़ती हिस्सेदारी के राजनीतिक मायने

@ शिवा शंकर पाण्डेय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में संगठनात्मक फेरबदल कभी केवल पदों का बंटवारा नहीं होता, बल्कि वह आगामी चुनावी रणनीति का संकेत भी होता है। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश संगठन में प्रयागराज (इलाहाबाद) को जिस प्रकार प्रमुख स्थान दिया गया है, उसने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रयागराज को मिला प्रतिनिधित्व यह संकेत देता है कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज के माध्यम से पूरे पूर्वांचल को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रयागराज केवल एक जिला नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति, शिक्षा, न्यायपालिका, धार्मिक चेतना व ब्राह्मण समाज का प्रभावशाली केंद्र माना जाता है। इसलिए भाजपा का यह संगठनात्मक संदेश केवल स्थानीय संतुलन नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक गणित का हिस्सा माना जा रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण है प्रयागराज?

प्रयागराज का प्रभाव केवल अपनी संसदीय और विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। इसका सामाजिक और राजनीतिक असर कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, चित्रकूट, फतेहपुर और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों तक तगड़ा दिखाई देता है। शिक्षा, प्रशासन और न्यायपालिका से जुड़े हजारों परिवारों का सामाजिक प्रभाव पूरे पूर्वांचल में फैला हुआ है।

भाजपा ने लंबे समय से प्रयागराज को वैचारिक और संगठनात्मक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। कुंभ, महाकुंभ, संगम क्षेत्र का विकास, कॉरिडोर परियोजनाएं तथा धार्मिक पर्यटन के विस्तार ने इस शहर को पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की राजनीति का भी महत्वपूर्ण आधार बनाया है। नए संगठन में प्रयागराज की मजबूत मौजूदगी, प्रदेश संगठन में प्रयागराज से तीन प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाना, सामान्य राजनीतिक नियुक्ति नहीं मानी जा सकती। इसके साथ एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से आने वाले रोहित मिश्रा को भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना भी विशेष महत्व रखता है।

इन नियुक्तियों से भाजपा ने कई स्तरों पर संदेश देने का प्रयास किया है–

प्रयागराज भाजपा की राजनीतिक प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है।

पूर्वांचल के प्रभावशाली जिलों को संगठनात्मक नेतृत्व से जोड़ने की कोशिश।

ब्राह्मण समाज को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व।

युवा नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति।

जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का समन्वय।

ब्राह्मण राजनीति का नया अध्याय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष लगातार यह प्रचार करता रहा कि भाजपा में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हो रही है। ऐसे समय में प्रयागराज के ब्राह्मण चेहरे रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाना संगठनात्मक निर्णय नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। भाजपा यह बताना चाहती है कि संगठन में

युवाओं और ब्राह्मण समाज दोनों को पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। यह नियुक्ति उन युवा कार्यकताओं के लिए भी प्रेरणा का संदेश है जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे हैं।

पूर्वांचल की चुनावी चुनौती

2024 के लोकसभा चुनाव ने भाजपा को यह संकेत दिया कि पूर्वांचल में पहले जैसी एकतरफा स्थिति अब नहीं रही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने कई क्षेत्रों में भाजपा को कड़ी चुनौती दी। ऐसे में भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर उन जिलों को मजबूत करना शुरू किया है जिनका व्यापक क्षेत्रीय प्रभाव है। प्रयागराज उसी रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यदि प्रयागराज का संगठन मजबूत होता है तो उसका असर आसपास के अनेक जनपदों पर भी पड़ सकता है। भाजपा इसी राजनीतिक प्रभाव का लाभ उठाना चाहती है।

महाकुंभ के बाद नई राजनीतिक जमीन

महाकुंभ के सफल आयोजन ने प्रयागराज को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। करोड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने भाजपा को यह विश्वास भी दिया कि धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे अभी भी उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत हैं। अब संगठन में प्रयागराज को बढ़ी हुई हिस्सेदारी देकर भाजपा इस सांस्कृतिक पूंजी को राजनीतिक संगठन में बदलने का प्रयास करती दिखाई देती है।

जातीय संतुलन की राजनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी दल जातीय समीकरणों की अनदेखी नहीं कर सकता। भाजपा ने अपने नए संगठन में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देकर यह संदेश देने का प्रयास किया है कि पार्टी सभी सामाजिक समूहों को साथ लेकर चलना चाहती है। प्रयागराज के प्रतिनिधित्व में भी यही संतुलन दिखाई देता है। यहां ब्राह्मण नेतृत्व के साथ अन्य सामाजिक वर्गों को भी स्थान देकर भाजपा ने सामाजिक समावेशन का संदेश देने का प्रयास किया है।

विपक्ष के लिए चुनौती

सपा का पारंपरिक प्रभाव यादव और मुस्लिम मतदाताओं में मजबूत माना जाता है, जबकि कांग्रेस प्रयागराज की ऐतिहासिक राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। ऐसी स्थिति में भाजपा का मजबूत संगठन विपक्ष की रणनीति को कठिन बना सकता है। यदि संगठन बूथ स्तर तक प्रभावी ढंग से सक्रिय हो गया तो विपक्ष को केवल मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ना आसान नहीं होगा।

क्या केवल संगठन पर्याप्त होगा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन चुनाव जिताने का आधार तो बन सकता है, लेकिन अंतिम सफलता जनता के बीच किए गए कार्यों, स्थानीय नेतृत्व की स्वीकार्यता, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर भी निर्भर करेगी। संगठन जनता से लगातार संवाद बनाए रखता है और स्थानीय समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाता है, तभी यह प्रतिनिधित्व चुनावी लाभ में परिवर्तित हो सकेगा।

प्रयागराज से पूरे पूर्वांचल तक संदेश

भाजपा का यह संगठनात्मक प्रयोग केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं है। इसका संदेश पूरे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं के लिए है कि क्षेत्र को पार्टी की भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान मिलने वाला है। रणनीति पूर्वांचल में नए नेतृत्व को तैयार करने, बूथ संगठन को मजबूत करने तथा सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

2027 की तैयारी अभी से

राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी मतदान से कई वर्ष पहले शुरू कर देते हैं। भाजपा ने भी संगठनात्मक नियुक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि उसका पूरा ध्यान अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर केंद्रित है। प्रयागराज को मजबूत संगठनात्मक प्रतिनिधित्व देकर भाजपा एक ऐसे राजनीतिक केंद्र का निर्माण करना चाहती है जहां से पूरे पूर्वांचल में चुनावी संदेश, संगठनात्मक ऊर्जा और नेतृत्व का विस्तार किया जा सके। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए संगठन में प्रयागराज को मिली असाधारण हिस्सेदारी केवल संयोग नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। तीन प्रदेश उपाध्यक्ष, एक प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण समाज से युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा की नियुक्ति इस बात का संकेत है कि भाजपा पूर्वांचल में अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है।

केवल संगठनात्मक प्रतिनिधित्व चुनावी सफलता की गारंटी नहीं होता। जनता के मुद्दे, सरकार का प्रदर्शन, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता व सामाजिक विश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। फिर भी इतना स्पष्ट है कि भाजपा ने प्रयागराज को केवल एक जिला नहीं, बल्कि पूर्वांचल की राजनीतिक धुरी मानते हुए अपनी रणनीति तैयार की है। आगामी महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रयागराज के माध्यम से तैयार किया गया यह संगठनात्मक मॉडल वास्तव में पूरे पूर्वांचल में भाजपा की राजनीतिक बढ़त को मजबूत कर पाता है, या विपक्ष अपने नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों के सहारे इस चुनौती का प्रभावी जवाब देने में सफल होता है। प्रश्न 2027 की उप्र की राजनीति की दिशा भी तय करेगा।

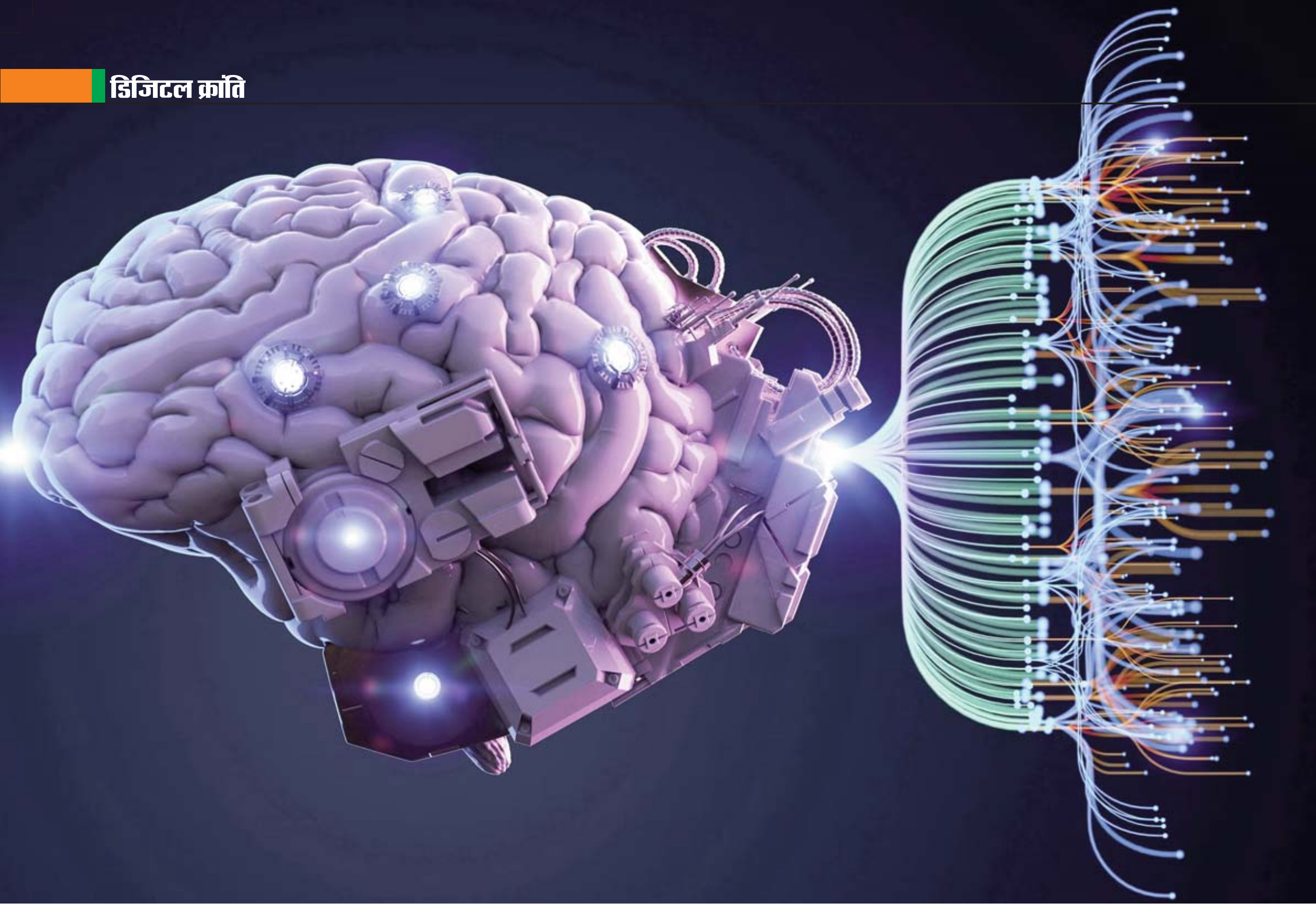

विकास मॉडल बनाम मानव अस्तित्व

@ अवनीश कुमार गुप्ता

मानव इतिहास में शायद पहली बार ऐसा समय आया है जब सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियां ही उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बनती दिखाई दे रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांति, औद्योगिक विस्तार, वैश्विक व्यापार और तेज आर्थिक विकास को आधुनिक युग की सफलता माना गया, लेकिन इसी विकास मॉडल ने पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को गहराई से प्रभावित किया है। वर्ष 2026 का अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस केवल एक औपचारिक वैश्विक आयोजन नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के आत्ममंथन का अवसर है। अब प्रश्न केवल पेड़ बचाने या प्रदूषण कम करने का नहीं रहा; प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान विकास मॉडल भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित पृथ्वी छोड़ पाएगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व मौसम संगठन और विभिन्न जलवायु संस्थाओं की रिपोर्टें लगातार यह संकेत दे रही हैं कि पृथ्वी तेजी से जलवायु अस्थिरता की ओर बढ़ रही है। वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति के बाद से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। पहली नजर में यह वृद्धि सामान्य लग सकती है, लेकिन इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, जैव विविधता घट रही है और मौसम की पारंपरिक संरचना टूटती जा रही है।

भारत जैसे देश के लिए यह संकट केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक चुनौती भी है। भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जहाँ विकास की आवश्यकता भी विशाल है और संसाधनों पर दबाव भी अत्यधिक है। लेकिन समस्या केवल जनसंख्या नहीं है। वास्तविक समस्या वह विकास मॉडल है जो संसाधनों के अनियंत्रित दोहन को प्रगति का पर्याय मानता है।

दिल्ली, लखनऊ, कानपुर और मुंबई जैसे शहरों में वायु प्रदूषण अब मौसमी समस्या नहीं, बल्कि स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रदूषित वायु से लाखों लोगों की समयपूर्व मृत्यु होती है। विडंबना यह है कि प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित वही वर्ग होता है जिसके पास सुरक्षा के साधन सबसे कम हैं। मजदूर, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक और सड़क किनारे रहने वाले परिवार जहरीली हवा में जीवन बिताने को मजबूर हैं, जबकि संपन्न वर्ग एयर प्यूरीफायर और बंद परिसरों में स्वयं को सुरक्षित कर लेता है। इस दृष्टि से पर्यावरणीय संकट सामाजिक असमानता का भी प्रश्न है।

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संकट का स्वरूप और अधिक गंभीर है। बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे क्षेत्रों में लगातार जल संकट ने कृषि अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है।

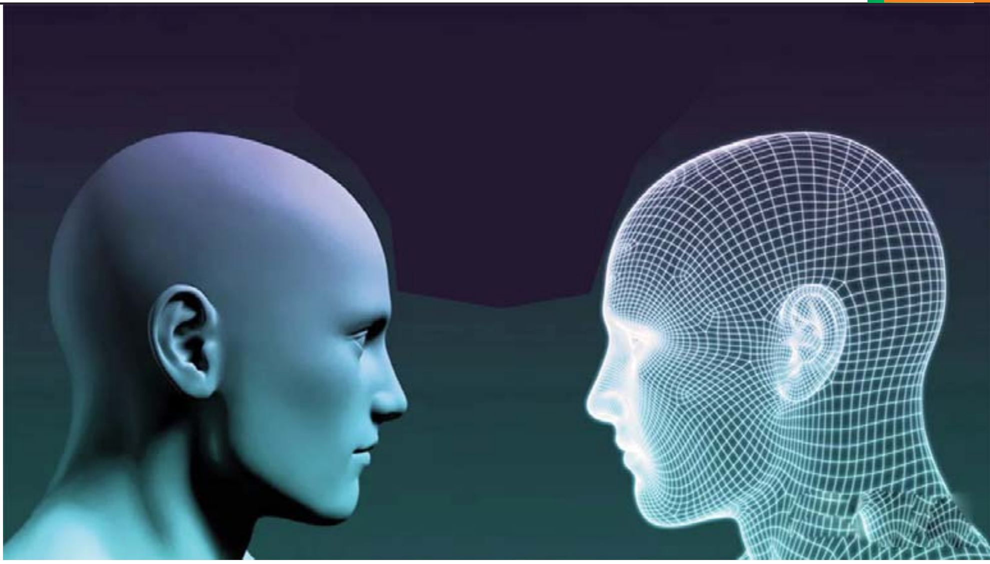

अनियमित मानसून और भूजल के अत्यधिक दोहन ने किसानों की निर्भरता बढ़ा दी है। हरित क्रांति ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग ने मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित किया। लंबे समय तक कृषि नीति केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित रही, जबकि मिट्टी, जल और जैव विविधता की स्थिरता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया।

वास्तविकता यह है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा 'अधिक उत्पादन और अधिक उपभोग' के सिद्धांत पर आधारित है। वैश्विक बाजार व्यवस्था लगातार नई आवश्यकताएं पैदा करती है। मोबाइल फोन से लेकर कपड़ों और वाहनों तक, उपभोग को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है। परिणामस्वरूप इलेक्ट्रॉनिक कचरा, प्लास्टिक प्रदूषण व ऊर्जा खपत अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गई है। विडंबना यह है कि टिकाऊ विकास की बात करने वाले समाज स्वयं अत्यधिक उपभोक्तावादी जीवनशैली अपनाए हुए हैं।

आज पर्यावरणीय विमर्श की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे अक्सर भावनात्मक अभियान बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जबकि यह मूलतः आर्थिक और राजनीतिक संरचना का विषय है। जब कोई उद्योग जंगल काटता है, नदी प्रदूषित करता है या खनन के नाम पर स्थानीय समुदायों को विस्थापित करता है, तब वह केवल पर्यावरणीय नुकसान नहीं करता; वह सामाजिक असंतुलन और आर्थिक असुरक्षा भी पैदा करता है।

हिमालयी क्षेत्रों में अनियोजित निर्माण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ते भूस्खलन, बाढ़ व भू-क्षरण केवल प्राकृतिक घटनाएं नहीं हैं। सड़कों, सुरंगों, होटल निर्माण व अवैज्ञानिक पर्यटन मॉडल ने पर्वतीय पारिस्थितिकी को अस्थिर बना दिया है। लेकिन विकास की बहस में इन प्रश्नों को अक्सर 'प्रगति विरोधी सोच' कहकर खारिज कर दिया जाता है।

एक व महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पर्यावरणीय संकट का प्रभाव वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। जल संकट, खाद्य असुरक्षा और जलवायु आधारित विस्थापन आने वाले दशकों में अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को बढ़ा सकते हैं। अफ्रीका और एशिया के अनेक क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन पहले ही आर्थिक अस्थिरता और पलायन को प्रभावित कर रहा है। भविष्य में यह समस्या राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ सकती है।

भारत में पर्यावरण नीति की सबसे बड़ी कमजोरी क्रियान्वयन की कमी है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्टें अक्सर औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती हैं। नगरों में कचरा प्रबंधन योजनाएँ घोषित तो होती हैं, लेकिन अधिकांश शहरों में वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन अब भी अधूरा है। नदियों की सफाई के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च किए जाते हैं, फिर भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना रहता है। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति दृष्टि का अभाव है।

पर्यावरणीय संकट को केवल सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। समाज की जीवनशैली में परिवर्तन भी उतना ही आवश्यक है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, ऊर्जा बचत, जल संरक्षण और सीमित उपभोग जैसी आदतों को सामाजिक संस्कृति का हिस्सा बनाना होगा। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल परीक्षा विषय की तरह नहीं, बल्कि व्यवहारिक जीवन कौशल की तरह पढ़ाया जाना चाहिए।

इसके साथ ही स्थानीय समुदायों और पारंपरिक ज्ञान को भी महत्व देना आवश्यक है। राजस्थान के पारंपरिक जल संरक्षण मॉडल, पूर्वोत्तर के सामुदायिक वन प्रबंधन और ग्रामीण भारत की जैविक कृषि पद्धतियाँ आज भी टिकाऊ विकास के उपयोगी उदाहरण हैं। आधुनिक नीति निर्माण ने अक्सर इन अनुभवों को नजरअंदाज किया है।

तकनीकी समाधान निश्चित रूप से आवश्यक हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और हरित अधोसंरचना भविष्य के महत्वपूर्ण विकल्प हो सकते हैं। लेकिन यह समझना होगा कि केवल तकनीक पर्यावरणीय संकट का पूर्ण समाधान नहीं दे सकती। यदि उपभोग और संसाधन दोहन की वर्तमान गति जारी रही, तो हरित तकनीक भी सीमित प्रभाव ही डाल पाएगी।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मानव समाज विकास की अपनी परिभाषा बदलने के लिए तैयार है? आज विकास को मुख्यतः जीडीपी वृद्धि, निर्माण और उपभोग से मापा जाता है। यदि आर्थिक विकास के साथ प्रदूषण, जल संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक असमानता भी बढ़ रही हो, तो उस विकास की स्थिरता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

भारत 'विकसित भारत 2047' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह लक्ष्य महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है, लेकिन यदि विकास का मॉडल प्रकृति विरोधी रहा, तो भविष्य की आर्थिक उपलब्धियाँ भी अस्थिर हो जाएँगी। विकसित राष्ट्र केवल ऊँची इमारतों, एक्सप्रेस-वे और औद्योगिक उत्पादन से नहीं बनते; वे टिकाऊ संसाधन प्रबंधन, स्वच्छ पर्यावरण और सामाजिक संतुलन से बनते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2026 मानव सभ्यता के लिए स्पष्ट चेतावनी है। अब यह बहस का विषय नहीं कि पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है या नहीं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या सरकारें, उद्योग और समाज अल्पकालिक लाभ से ऊपर उठकर दीर्घकालिक अस्तित्व को प्राथमिकता देने के लिए तैयार हैं। यदि उत्तर नकारात्मक रहा, तो आने वाले वर्षों में जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं रहेगा; वह वैश्विक अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और मानव सुरक्षा का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। इसलिए अब समय केवल प्रतीकात्मक अभियानों का नहीं, बल्कि कठोर और वैज्ञानिक निर्णयों का है। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कोई वैकल्पिक विचार नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व की अनिवार्य शर्त बन चुका है।

पानी, जंगल और जमीन का संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्यः सती राम यादव

@ राष्ट्र समाज

पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए, तो प्रदूषण रूपी दानव हमारे अस्तित्व को ही लील जाएगा। यह विचार बीटीडब्लू के चेयरमैन सती राम यादव ने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण समस्याओं के समाधान पर चर्चा करते हुए व्यक्त किए। श्री यादव ने 'जल, जंगल और जमीन' को जीवन का मूल आधार बताते हुए इनके अंधाधुंध दोहन पर गहरी चिंता जताई और इसके संरक्षण के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु सामने रखेः

जलः जीवन का आधार और गहराता संकट

श्री यादव ने कहा कि पानी के बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। आज बढ़ती जनसंख्या और पानी की बबार्दी के कारण देश-दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर जल संकट खड़ा हो गया है।

समाधानः हमें पानी का उपयोग अत्यंत सोच-समझकर करना होगा। इसके साथ ही, 'वर्षा जल संचयन' जैसी तकनीकों को हर घर और संस्थान में अपनाना अनिवार्य हो गया है।

जंगलः घटता हरा आवरण और हमारी जिम्मेदारी

जंगल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़-पौधे

हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं और वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हो रही लगातार कटाई से जंगलों का दायरा सिमटता जा रहा है।

समाधानः इस गंभीर समस्या को रोकने का एकमात्र उपाय बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और मौजूदा वनों की कड़ाई से रक्षा करना है।

जमीनः संकट में धरती की उर्वरता

कृषि, आवास और हमारी तमाम बुनियादी आवश्यकताएं जमीन (भूमि) पर ही टिकी हैं। अत्यधिक रासायनिक खादों के उपयोग, बढ़ते प्रदूषण व मिट्टी के कटाव के कारण धरती माता की उपजाऊ क्षमता लगातार कम हो रही है।

समाधानः भूमि का संरक्षण करने के लिए हमें इसके संसाधनों का संतुलित और जैविक उपयोग बढ़ाना होगा।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के प्रयासों की सराहनाः सती राम यादव ने इस समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जन-जागरूकता के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियानों की सराहना की। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की ओर से इस दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयास वाकई काबिलेतारीफ हैं।

बीटीडब्लू के चेयरमैन ने देश के नागरिकों से एक भावुक और जागरूक अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल, जंगल और जमीन का संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह देश के प्रत्येक नागरिक का परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा, यदि हम आज एकजुट होकर इन बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेंगे, तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ पर्यावरण, सुरक्षित धरती और बेहतर जीवन का उपहार दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि 'भारत सरकार ने अपने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से विभिन्न योजनाओं और अभियानों के तहत स्वच्छ और हरित शहरों और कस्बों को बढ़ावा देने के लिए कई सामुदायिक पहल शुरू की हैं।

पर्यावरण संरक्षण के लिए समुदाय-संचालित पहल

प्रमुख योजनाओं में शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों

में वन/हरित क्षेत्रों के विकास के लिए नगर वन योजना (एनवीवाई) और स्कूल नर्सरी योजना (एसएनवाई) शामिल हैं, जो छात्रों को पौधों के महत्व को समझने में संलग्न करती है और मान्यता प्राप्त सार्वजनिक और निजी स्कूलों में लागू की जाती है। अब तक 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 620 नगर वन स्थापित किए जा चुके हैं। नगर वन योजना के तहत 2020-21 से अब तक 50784.64 करोड़ रुपये और स्कूल नर्सरी योजना के तहत 7.38 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस 2024 के अवसर पर शुरू किया गया 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान, देश में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए एक सामुदायिक पहल है ।यह अभियान देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी के साथ 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।

इस अभियान के तहत राज्य वन विभागों और सहयोगी मंत्रालयों द्वारा मेरीलाइफ पोर्टल पर 261 करोड़ से अधिक पौधों के सफल रोपण को दर्ज किया गया है, जिनमें से 45 करोड़ से अधिक पौधे शहरी क्षेत्रों में लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (एनएमएनएच), नई दिल्ली, अपने क्षेत्रीय केंद्रों के साथ मिलकर स्वच्छता, पर्यावरण जागरूकता और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए समुदाय-संचालित पहल करता है, जिससे एक स्वच्छ और हरा-भरा वातावरण बनता है।

स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत, एनएमएनएच छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रकृति की सैर, वार्ता, फिल्म प्रदर्शन, चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिताएं और अपशिष्ट पृथक्करण पर नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन जैसी जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

इसके अलावा, मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) के तहत, स्वच्छ और हरित शहरों के लिए सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने और नागरिकों को सामूहिक रूप से कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने हेतु 'ग्रीन टॉक' सत्र, कार्यशालाएं व जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष अब तक देशव्यापी स्तर पर तीन अभियान चलाए जा चुके हैं।

इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के अंतर्गत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 'एक राष्ट्र, एक मिशनः प्लास्टिक प्रदूषण का अंत' का नारा जारी किया । विश्व पर्यावरण दिवस 2025 से पूर्व एक महीने के

अभियान के तहत देश भर में लगभग 69,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 21 लाख लोगों ने भाग लिया।

राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदूषण निवारण अभियान (एनपीपीआरसी) भी 5 जून से 31 अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने की गतिविधियाँ शामिल थीं। इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करना था, विशेष रूप से विशेष अभियान 5.0 के दौरान।

विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और यूनिसेफ युवाह के सहयोग से, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 13 शहरों में ई-कचरा जागरूकता और कमी अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें 65 आभासी कार्यशालाओं और विद्यालय-आधारित संग्रह अभियानों के माध्यम से 632 सरकारी स्कूलों के 70,000 छात्रों को शामिल किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 4,950 किलोग्राम ई-कचरे का सुरक्षित पुनर्चक्रण हुआ।

मंत्रालय ने मेरा भारत प्लेटफॉर्म पर 10 दिवसीय अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम (ईएलपी) के माध्यम से मिशन लाइफ को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को भी सुगम बनाया, जिसमें व्यावहारिक शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिभागियों ने कई स्वयं-निर्मित गतिविधियों में भाग लिया और यूनिसेफ इंडिया के कार्यालय में मिशन लाइफ पर एक अभिविन्यास सत्र में भी शामिल हुए। इसके अलावा, अब तक 6 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने 33.17 लाख लाइफ से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) भारत सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी पहल है, जिसे जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा 2017-18 में प्रारंभ किया गया था।

पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा वर्तमान में लागू की जा रही एसएपी योजना के दायरे में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में जैव-शौचालयों का निर्माण शामिल है, ताकि आगंतुकों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया जा सके। एसएपी को 'पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता, अनुसंधान और कौशल विकास' योजना के पर्यावरण सूचना, जागरूकता, क्षमता निर्माण और आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यधारा में शामिल किया गया है।

तटीय समुदायों और समुद्र तट का उपयोग करने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, एमओईएफसीसी ने तटीय राज्य सरकारों के सहयोग से पिछले 3 वर्षों में 80 से अधिक समुद्र तटों को कवर करते हुए समुद्र तट सफाई अभियान आयोजित किए हैं।

इन अभियानों में आस-पास के स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों, एनसीसी और एनएससी कैडेटों, तटरक्षक कर्मियों, गैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों (सीओएस), जन प्रतिनिधियों और आम जनता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। देश भर में कुल 13 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग घोषित किया गया है।

मंत्रालय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम (ईईपी) को लागू करता है ताकि बच्चों और युवाओं को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें कार्यशालाओं, परियोजनाओं, प्रदर्शनियों, अभियानों, प्रतियोगिताओं, प्रकृति शिविरों और ग्रीष्मकालीन अवकाश कार्यक्रमों सहित विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक पहलों के माध्यम से एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

यह कार्यक्रम स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण क्लबों के माध्यम से लागू किया जाता है ताकि कक्षा में होने वाली शिक्षा को प्राकृतिक वातावरण के अनुभव और व्यावहारिक गतिविधियों से पूरक बनाया जा सके। इन गतिविधियों में समुद्र तटों की सफाई अभियान, कचरा पृथक्करण प्रदर्शन, चक्रीय अर्थ व्यवस्था प्रथाओं पर जागरूकता सत्र, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक कला परियोजनाओं के माध्यम से सड़कों व सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व पहुंच में सुधार के लिए सार्वजनिक शौचालयों का नवीनीकरण व उन्नयन, भित्ति चित्रों का चित्रण, स्ट्रीट आर्ट की स्थापना व हरित गलियारों का निर्माण शामिल हैं।

@ राष्ट्र समाज

सामूहिक योगाभ्यास स्वस्थ जीवन का संदेश

महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, रोहिणी परिसर में बीती 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद उत्साह, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर परिसर का माहौल पूरी तरह योगमय नजर आया।

कार्यक्रम की शुरूआत सोसाइटी के चेयरमैन विनीत कुमार गुप्ता (लोहिया) की गरिमामयी उपस्थिति में हुई। इस सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में संस्थान के माननीय न्यासियों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, अतिथियों और भारी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक साथ मिलकर विभिन्न योगासनों का अभ्यास किया और समाज को स्वस्थ शरीर, संतुलित मन व सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।

इस अवसर पर अपने विचार साझा करते हुए चेयरमैन विनीत कुमार गुप्ता 'लोहिया' ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है, जो हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक शांति, आत्म-अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी प्रेरित करता है। आज की भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण जिंदगी में योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक सफल और स्वस्थ जीवन का मजबूत आधार बन चुका है।

उन्होंने सभी से अपील की कि वे योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि एक स्वस्थ, सशक्त और जागरूक समाज का निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम का मूल मंत्र रहा, योग से निरोग, योग से सहयोग और योग से ही स्वस्थ भविष्य का निर्माण।

कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों की देखरेख में कई आसन किए गए, जिनके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

अनुलोम-विलोम (प्राणायाम)ः यह फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर करता है और मानसिक शांति देता है।

ताड़ासनः इससे शारीरिक मुद्रा (पोस्चर) में सुधार होता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और यह लंबाई बढ़ाने में भी मददगार है।

भुजंगासनः यह आसन पीठ और कमर के दर्द से राहत दिलाने तथा पेट की चर्बी को कम करने में बेहद असरदार है।

वृक्षासनः शरीर का संतुलन (संतुलन) सुधारने और एकाग्रता (ध्यान) बढ़ाने के लिए यह सबसे उत्तम आसन है।

शवासनः मानसिक और शारीरिक थकान को मिटाकर पूरे शरीर को पूरी तरह से तनावमुक्त (आराम) करने में मदद करता है।

यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में सफल रहा, बल्कि इसने पूरे संस्थान को एकजुटता और सकारात्मकता के सूत्र में बांध दिया।

BTW

Delivering Taste, Quality & Legacy

AT EVERY STEP

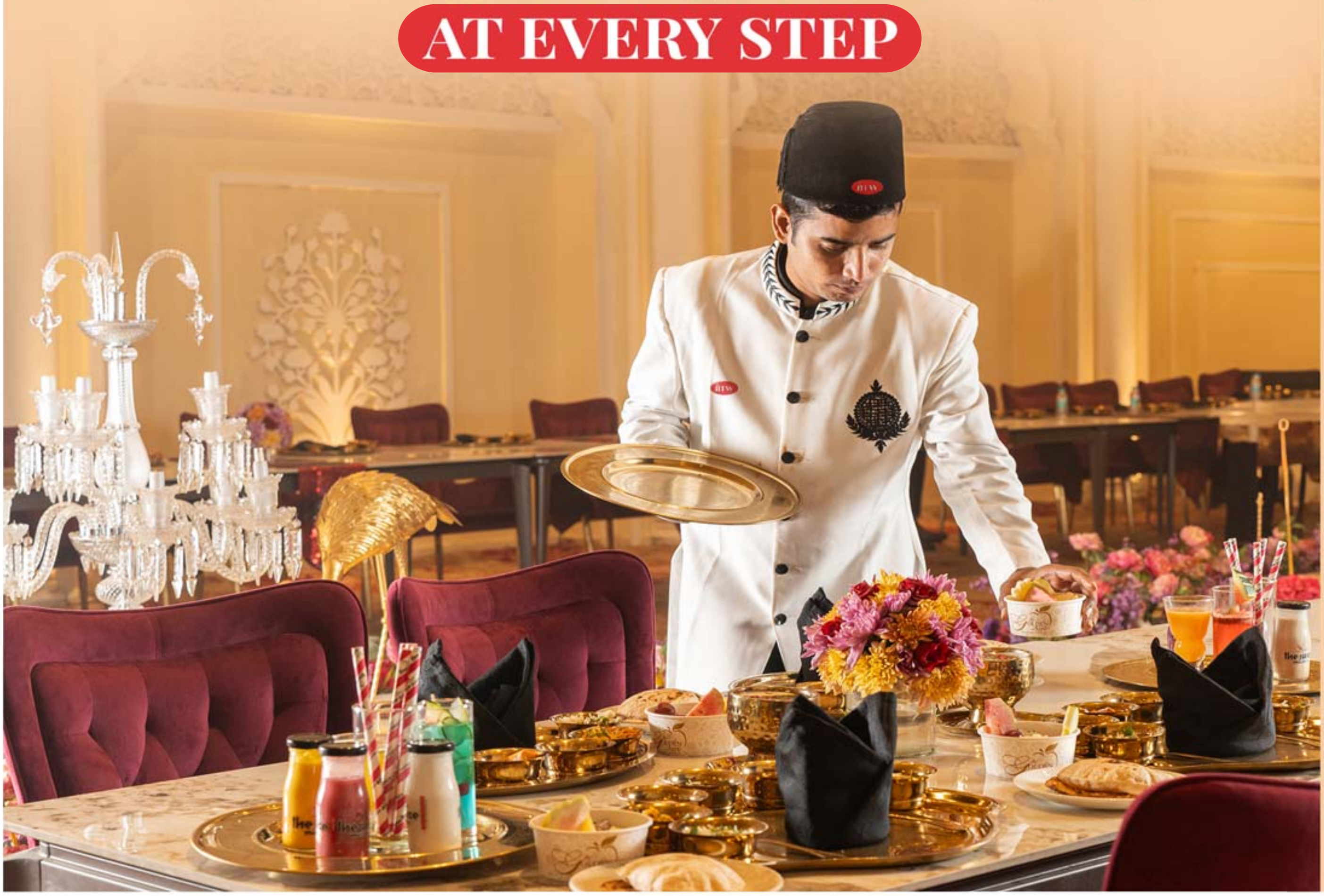

RETAIL

As a pure vegetarian restaurant, we serve a wide variety of multi-cuisine dishes and are especially known for our chaat and snacks. We operate 20 QSR outlets across Delhi NCR and Mohali. Our stores also offer a comprehensive selection of sweets and gifting options.

FMCG

Our FMCG range has over 1000 SKUs, available across major modern outlets, e-commerce platforms, army canteens, and police canteens. We also manufacture material for several esteemed brands through private labelling, like Unibic, Big Basket, Vishal Mega Mart etc.

CATERING

We are one of India's largest Chaat caterers and offer catering services across the globe. On average, we serve around 75 functions each wedding season, maintaining our quality and legacy at every event.

For More Information

01164646464 | customercare@btwindia.com | www.btwindia.com

मधुसूदन अग्रवाल, चेयरमैन, हल्दीराम ग्रुप

रामराज्य में अपराध और भय के लिए कोई स्थान नहीं था : मधुसूदन अग्रवाल

'हल्दीराम ग्रुप' के चेयरमैन मधुसूदन अग्रवाल ने वाल्मीकि रामायण और राम चरित मानस जैसे पवित्र ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया कि रामराज्य को एक 'कल्याणकारी राज्य' क्यों माना जाता है और उस दौर में अपराधों से कैसे निपटा जाता था।

@ राष्ट्र समाज

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का शासनकाल यानी 'रामराज्य' केवल एक पौराणिक कालखंड नहीं, बल्कि न्याय, नीति और आदर्श शासन व्यवस्था का वो सर्वकालिक मॉडल है, जिसकी कल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्र भारत के लिए की थी। यह विचार प्रसिद्ध उद्योग समूह 'हल्दीराम ग्रुप' के चेयरमैन मधुसूदन अग्रवाल ने रामराज्य की दंड नीति और शासन व्यवस्था पर चर्चा करते हुए साझा किए। श्री अग्रवाल ने वाल्मीकि रामायण और राम चरित मानस जैसे पवित्र ग्रंथों का हवाला देते हुए बताया कि रामराज्य को एक 'कल्याणकारी राज्य' क्यों माना जाता है और उस दौर में अपराधों से कैसे निपटा जाता था।

श्री मधुसूदन ने रामराज्य की न्याय व्यवस्था को रेखांकित करते हुए कहा, रामराज्य में चोरी और भ्रष्टाचार को केवल एक कानूनी अपराध नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और नैतिक पाप माना जाता था। हालांकि उस दौर में अपराध न के बराबर थे, लेकिन यदि कोई दोषी पाया जाता, तो दंड नीति बेहद स्पष्ट और निष्पक्ष थी। ग्रंथों में वर्णित दंड व्यवस्था के अनुसार, अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा तय होती थी:

सामान्य अपराध

छोटे स्तर की चोरी के लिए दोषी की संपत्ति जब्त करना, भारी जुर्माना लगाना या कोड़े मारने जैसी सजा का प्रावधान था।

गंभीर अपराध

यदि कोई व्यक्ति आदत से लाचार होकर बार-बार चोरी करता था, या किसी गरीब व किसान की आजीविका का साधन (जैसे बैल या औजार) चुराता था, तो उसे 'अंग-भंग' या 'देश निकाला' (राज्य से निष्कासन) जैसी कठोर सजा दी जाती थी।

श्री मधुसूदन अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि रामराज्य की इस निष्पक्ष और लोक-कल्याणकारी भावना को आज के प्रशासनिक और सामाजिक ऊंचे ढांचों में ढालने की जरूरत है। जब समाज का हर नागरिक अपने नैतिक कर्तव्यों को समझेगा, तभी एक अपराधमुक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण संभव हो सकेगा।

दिल्ली में अध्यात्म का महासंगम : गुप्त नवरात्रि पर गूंजेगी रामकथा

भक्ति, आस्था और अध्यात्म का एक ऐसा अनूठा संगम होने जा रहा है, जिसकी प्रतीक्षा हर सनातनी को रहती है। अवसर है पावन गुप्त नवरात्रि का और गवाह बनने जा रही है देश की राजधानी दिल्ली। कंझावला के कुत्तबगढ़ रोड पर स्थित माँ बगलामुखी शक्तिपीठ (जौन्ती) में आगामी 15 जुलाई से एक दिव्य और भव्य धार्मिक अनुष्ठान का शंखनाद होने जा रहा है, जहां एक ओर प्रभु श्री राम की महिमा गूंजेगी, तो दूसरी ओर माँ पीतांबरा के महायज्ञ की आहुतियां वातावरण को शुद्ध करेंगी। इस अलौकिक महोत्सव को अपने दिव्य सानिध्य से धन्य करने अयोध्या धाम से पधार रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास, वैष्णव कुलभूषण श्रीमद् जगद्गुरू रामानन्दा चार्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज (श्री रामहर्षण मैथिल सख्य पीठाधीश्वर)। स्वामी जी के मुखारविंद से बहने वाली संगीतमय श्री रामकथा की रसधारा भक्तों को सीधे भक्ति के परम आनंद से सराबोर कर देगी।

इस भक्ति रस की शुरूआत 15 जुलाई को सुबह 9 बजे एक बेहद भव्य और विशाल कलश यात्रा के साथ होगी। ग्राम-जीन्ती के प्राचीन शिव मंदिर से जब सैकड़ों माताओं-बहनों के सिर पर सजे कलश माँ बगलामुखी शक्ति पीठ के कथा प्रांगण की ओर बढ़ेंगे, तो पूरा क्षेत्र जयकारों से गूंज उठेगा। इसके बाद 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक रोज शाम 4 बजे से प्रभु इच्छा तक संगीतमय श्री राम कथा का प्रवाह बहेगा। संगीत की सुमधुर लहरियों के बीच जब प्रभु की लीलाओं का गान होगा, तो हर हृदय झूम उठेगा। कथा के विश्राम के बाद, प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से भक्तों के लिए भव्य भोजन प्रसाद (भंडारे) की व्यवस्था की गई है। इस उत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है गुप्त नवरात्रि के सिद्ध मुर्हूत में होने वाला 'माता बगलामुखी पीतांबरा महायज्ञ'। जीवन के समस्त विघ्नों, संकटों और बाधाओं के निवारण के लिए, हर कार्य में विजय और सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस महायज्ञ को बेहद अचूक और कल्याणकारी माना गया है।

विशेषः 19 जुलाई प्रातः 10 बजे, माँ दोवसर धाम, भोजावाली माता, पहाड़ी वाली माता के मंदिर का भूमी पूजन का विशेष आयोजन है।

आयोजन स्थलः मां बगलामुखी शक्ति पीठ, जौन्ती (जोन्ती), कुत्तबगढ़ रोड, कंझा वला, उत्तर-पश्चिम दिल्ली। आयोजक मंडल ने दिल्ली-एनसीआर के सभी रामभक्तों और सनातन धर्मप्रेमियों को इस पावन यज्ञ और कथा में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। आइए, इस गुप्त नवरात्रि में भक्ति और शक्ति के इस महाकुंभ का हिस्सा बनें और पुण्य के भागीदार बनें।

क्या विश्व अहिंसा की ओर बढ़ेगा?

@ राष्ट्र समाज

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हाल ही में हुआ युद्धविराम ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम एशिया युद्ध की लपटों में घिरकर वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कई सप्ताह तक चले संघर्ष ने क्षेत्र को ऐसे ज्वालामुखी में बदल दिया था, जिसकी प्रत्येक विस्फोटक घटना विश्व अर्थव्यवस्था को झकझोर रही थी। तेल बाजारों में भारी उथल-पुथल थी, निवेशकों में घबराहट बढ़ रही थी और वैश्विक मंदी की आशंकाएं गहराने लगी थीं। ऐसे में युद्धविराम ने विश्व को तत्काल राहत तो दी है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव बनेगा या केवल अगले युद्ध से पहले का एक अस्थायी विराम सिद्ध होगा? इतिहास साक्षी है कि युद्धविराम और शांति समझौते तभी टिकाऊ सिद्ध होते हैं, जब उनके पीछे केवल सामरिक विवशता नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारस्परिक विश्वास और मानवता के प्रति प्रतिबद्धता भी हो। अन्यथा वे केवल संघर्षों के बीच का अंतराल बनकर रह जाते हैं। पश्चिम एशिया का इतिहास ऐसे असंख्य समझौतों का गवाह है, जो कागजों पर तो बने, लेकिन जमीन पर टिक नहीं सके।

इस युद्ध के परिणामों का विश्लेषण किया जाए तो सबसे बड़ा लाभार्थी ईरान दिखाई देता है। अमेरिका और इजरायल के सैन्य दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय अलगाव के बावजूद तेहरान न केवल अपने राजनीतिक ढांचे को बचाने में सफल रहा, बल्कि उसने अपने विरोधियों को वार्ता की मेज पर आने के लिए भी बाध्य किया। ईरान अब अपने नागरिकों के समक्ष यह दावा कर सकता है कि उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। ईरानी नेतृत्व इसे प्रतिरोध की जीत के रूप में प्रस्तुत करेगा। दूसरी ओर इस संघर्ष ने अमेरिका की अजेयता की छवि को भी चुनौती दी है। वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के बाद यह एक और अवसर है, जिसने यह स्पष्ट किया कि केवल सैन्य शक्ति राजनीतिक परिणाम सुनिश्चित नहीं कर सकती। वाशिंगटन ने दबाव बनाया, अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः उसे वार्ता और समझौते का रास्ता अपनाना पड़ा। इससे यह संदेश गया है कि 21वीं सदी की दुनिया अब केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि संवाद, कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग से संचालित होगी।

इजरायल के लिए यह स्थिति राजनीतिक रूप से असहज है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को अपने देश के अस्तित्व के लिए खतरा बताते रहे हैं। इजरायल को आशा थी कि युद्ध के माध्यम से ईरान की सामरिक क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर किया जाएगा। किंतु युद्धविराम के बाद ईरान स्वयं को विजेता के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इससे इजरायल के भीतर यह बहस और तीव्र हो सकती है कि क्या क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं की तुलना में महाशक्तियों ने अपने सामरिक हितों को अधिक महत्व दिया। भारत के लिए यह

समझौता विशेष महत्व रखता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है। युद्ध की स्थिति में तेल आपूर्ति बाधित होने, समुद्री व्यापार मार्गों पर संकट उत्पन्न होने और कीमतों में वृद्धि की आशंका ने भारत की चिंता बढ़ा दी थी। युद्धविराम से तेल कीमतों पर दबाव कम होगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी और खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीयों की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी घटेंगी। लेकिन भारत का महत्व केवल एक उपभोक्ता राष्ट्र के रूप में नहीं है, वह आज वैश्विक शांति के एक नैतिक प्रवक्ता के रूप में भी उभर रहा है।

दरअसल, यह युद्ध एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है-क्या मानव सभ्यता युद्धों के सहारे अपने भविष्य का निर्माण कर सकती है? आज महाशक्तियों ने ऐसी विनाशकारी सैन्य क्षमता अर्जित कर ली है कि किसी भी देश की एक छोटी-सी भूल संपूर्ण मानवता को विनाश की ओर धकेल सकती है। परमाणु हथियारों, जैविक अस्त्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित युद्ध प्रणालियों के युग में युद्ध अब केवल सीमाओं का प्रश्न नहीं रह गया है, वह समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। यही कारण है कि आज दुनिया को शक्ति की नहीं, शांति की राजनीति की आवश्यकता है। हिंसा, युद्ध, आतंकवाद और शस्त्रीकरण की प्रतिस्पर्धा ने मानवता को भय, अविश्वास और असुरक्षा के गर्त में धकेल दिया है। यदि विश्व को बचाना है, तो उसे निःशस्त्रीकरण, अहिंसा, सह-अस्तित्व और संवाद की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा।

इस संदर्भ में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। भारत ने सदैव विश्व को शांति, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया है। महात्मा गांधी ने कहा था, 'आंख के बदले आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी।' आज यह कथन पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो उठा है। भारत की सांस्कृतिक चेतना 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर आधारित रही है, जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानती है। यही कारण है कि भारत ने सदैव युद्ध के स्थान पर संवाद और टकराव के स्थान पर सहमति का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विश्व के अनेक मंचों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि 'यह युग युद्ध का नहीं है।' संयुक्त राष्ट्र, जी-20, ब्रिक्स तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, बल्कि वार्ता है। यदि अंततः देशों को बातचीत की मेज पर ही लौटना पड़ता है, तो युद्ध की भयावह कीमत चुकाने की आवश्यकता ही क्या है?

भारत की विदेश नीति आज एक नए स्वरूप में सामने आ रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध हो, इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष हो अथवा पश्चिम एशिया का वर्तमान संकट-भारत ने किसी पक्ष विशेष का अंध समर्थन करने के बजाय संतुलन, संवाद और शांतिपूर्ण समाधान की नीति अपनाई है। संतुलित दृष्टिकोण भविष्य में भारत को वैश्विक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की दिशा में अग्रसर कर सकता है। लेकिन केवल सरकारें ही शांति स्थापित नहीं कर सकतीं। शांति का आधार समाजों, संस्कृतियों व मनुष्यों के भीतर निर्मित होता है। जब तक राष्ट्रवाद आक्रामकता का रूप लेता रहेगा, जब हथियार उद्योग युद्धों को लाभ का साधन बनाकर चलता रहेगा राजनीतिक नेतृत्व युद्ध को लोकप्रियता अर्जित करने के उपकरण के रूप में उपयोग करता रहेगा, तब तक स्थायी शांति का सपना अधूरा रहेगा।

आज विश्व समुदाय कुछ ठोस कदम उठाए-परमाणु एवं सामरिक हथियारों की होड़ को नियंत्रित किया जाए, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए स्थायी संवाद तंत्र विकसित किए जाएं और शिक्षा प्रणालियों में शांति एवं अहिंसा के मूल्यों को शामिल किया जाए। साथ ही युद्ध अर्थव्यवस्था के स्थान पर मानव कल्याण आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता दी जाए। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम निश्चय ही राहत का क्षण है, किंतु इसे स्थायी शांति में परिवर्तित करना अभी शेष है। यदि यह केवल सामरिक पुनर्संरचना का चरण बनकर रह गया, तो भविष्य में और भी अधिक विनाशकारी संघर्षों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन यदि विश्व समुदाय इस अवसर को आत्ममंथन का क्षण मानकर अहिंसा, संवाद और सह-अस्तित्व की नई वैश्विक संस्कृति विकसित करता है, तो यह युद्धविराम मानव इतिहास के एक नए अध्याय का प्रारंभ भी बन सकता है। दुनिया को आज युद्ध का अंधेरा नहीं, शांति का उजाला चाहिए। मानवता के समक्ष यही सबसे बड़ी चुनौती है और यही सबसे बड़ा अवसर भी।

गृहिणी राष्ट्रनिर्माता है तो हिंसा की शिकार क्यों?

जिस महिला को राष्ट्रनिमार्ता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है। यह स्थिति तब है जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और महिला अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

@ राष्ट्र समाज

भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। उन्हें 'आधी आबादी' और विकास की समान भागीदार कहा जाता है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई जाती है। सरकारें महिला सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती हैं और समाज भी महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करता है। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो हमें इस सशक्तीकरण के वास्तविक स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें 'नेशन बिल्डर' अर्थात राष्ट्रनिर्माता कहा। न्यायालय ने यह भी माना कि घरेलू कार्यों और परिवार की देखभाल में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्रम का आर्थिक मूल्य है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक चौथी तथा शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती है। यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। जिस महिला को राष्ट्रनिमार्ता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय समाज में महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सदियों से गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को केवल कर्तव्य या प्रेम का विस्तार मान लिया गया। घर की सफाई, भोजन बनाना, बच्चों का पालन-पोषण, बुजुर्गों की सेवा, परिवार के स्वास्थ्य और संस्कारों की रक्षा, घरेलू प्रबंधन और सामाजिक संबंधों का निर्वहन-इन सभी कार्यों को महिलाओं का स्वाभाविक दायित्व माना गया। परिणामस्वरूप उनके श्रम को कभी आर्थिक दृष्टि से नहीं आंका गया। वास्तव में यदि किसी परिवार में गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, तो उस पर भारी आर्थिक व्यय आएगा। इसके बावजूद गृहिणी के श्रम को न तो वेतन मिलता है और न ही सामाजिक मान्यता। वह चौबीस घंटे और वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन कार्यरत रहती है। उसका कोई अवकाश नहीं होता, कोई पदोन्नति नहीं होती और कोई सेवानिवृत्ति नहीं होती। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि गृहिणी केवल परिवार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देती है, सामाजिक चेतना को नई दिशा देने वाला विचार है।

न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में गृहिणी की सेवाओं का मूल्यांकन न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह के आधार पर करने की बात कही। यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता को चुनौती है जो घरेलू श्रम को महत्वहीन समझती रही है। वास्तव में महिलाओं का यह अदृश्य श्रम देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यदि इस श्रम का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और उसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शामिल किया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर काफी बदल सकती है। लेकिन इसी संदर्भ में दूसरा पक्ष और भी अधिक चिंता पैदा करता है। जिस महिला के योगदान को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र निर्माण का आधार मान रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सफल 12 वर्ष के रिकार्ड प्रधानमंत्री शासन की आयोजनाओं के अवसर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सम्मान की अधिकारी मान कर रहे हैं, क्या उसे वह सम्मान, सुरक्षा और गरिमा प्राप्त है जिसकी

वह अधिकारी है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर संतोषजनक नहीं है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आज भी एक गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चौथी महिला और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक छठी महिला हिंसा का सामना करती है। 18 से 49 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में लगभग 22 प्रतिशत ने स्वीकार किया है कि उन्हें वैवाहिक जीवन में घरेलू हिंसा झेलनी पड़ी। यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। जिस महिला को राष्ट्रनिर्माता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है। यह स्थिति तब है जब महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाए जा चुके हैं और महिला अधिकारों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि यदि कानून मौजूद हैं, योजनाएं चल रही हैं और महिला सशक्तीकरण को राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जा चुका है, तो फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा क्यों नहीं रुक रही? आखिर क्यों घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाएं स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित महसूस नहीं कर पातीं?

इसका उत्तर केवल कानूनी व्यवस्था में नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता में छिपा है। भारतीय समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी पितृसत्तात्मक सोच से प्रभावित है। महिलाओं को परिवार की धुरी तो माना जाता है, लेकिन निर्णय लेने की स्वतंत्रता और समान अधिकार देने में संकोच किया जाता है। एक ओर उनके श्रम पर परिवार की पूरी व्यवस्था निर्भर रहती है, दूसरी ओर उनके योगदान को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलता। यही मानसिकता कई बार घरेलू हिंसा, आर्थिक शोषण और सामाजिक भेदभाव का कारण बनती है। आज भी दहेज प्रथा समाज पर कलंक बनी हुई है। अनेक शिक्षित परिवारों में भी दहेज की मांग और उससे जुड़े अपराध सामने आते हैं। हाल के वर्षों में दहेज हत्या और उत्पीड़न के अनेक मामले राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हैं। यह विडंबना ही है कि एक लड़की की शिक्षा, पालन-पोषण और विवाह पर भारी व्यय करने वाले माता-पिता को विवाह के समय अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान पर सीधा आघात है।

इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने, यौन हिंसा, बाल विवाह, मानव तस्करी और लैंगिक भेदभाव

जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंधविश्वासों तथा सामाजिक पिछड़ेपन के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अधिक दिखाई देती हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक विकास के बावजूद सामाजिक चेतना का विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। महिला सशक्तीकरण को केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व या आर्थिक अवसरों तक सीमित नहीं किया जा सकता। सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ है-सम्मान, सुरक्षा, समान अवसर और स्वतंत्र निर्णय क्षमता। यदि कोई महिला आर्थिक रूप से सक्षम है, लेकिन घर में हिंसा का शिकार है, तो उसे पूर्णतः सशक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार यदि उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन सामाजिक सम्मान न मिले, तो भी सशक्तीकरण अधूरा रहेगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सशक्तीकरण को बहुआयामी दृष्टि से देखा जाए। महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है। विद्यालयों और परिवारों में लैंगिक समानता के संस्कार विकसित किए जाएं। पुरुषों और लड़कों को भी इस परिवर्तन प्रक्रिया का भाग बनाया जाए। केवल महिलाओं को जागरूक करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समाज की सोच में परिवर्तन लाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पुलिस और प्रशासन को महिलाओं से जुड़े मामलों में अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाना होगा। कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना होगा ताकि अपराधियों में दंड का भय उत्पन्न हो और पीड़ित महिलाओं को न्याय प्राप्त हो सके। साथ ही यह भी आवश्यक है कि महिलाओं के अवैतनिक श्रम को राष्ट्रीय आर्थिक विमर्श का हिस्सा बनाया जाए।

समय आ गया है कि घरेलू कार्यों को केवल निजी दायित्व न मानकर सामाजिक और आर्थिक योगदान के रूप में स्वीकार किया जाए। इससे न केवल महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि समाज में उनके प्रति सम्मान की भावना भी सुदृढ़ होगी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें यह संदेश देता है कि राष्ट्र निर्माण केवल संसद, उद्योग, सेना या प्रशासन तक सीमित नहीं है। परिवार का निर्माण और उसका संरक्षण भी राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और इस कार्य की सबसे बड़ी वाहक महिला है। लेकिन यदि वही महिला हिंसा, भेदभाव और असुरक्षा का सामना करती रहे, तो राष्ट्र निर्माण का यह सपना अधूरा ही रहेगा। इसलिए आवश्यकता केवल महिलाओं के श्रम का मूल्यांकन करने की नहीं, बल्कि उनके जीवन का मूल्य समझने की है।

पेरिस फैशन वीक में छाई प्रियंका, बोल्ड और ग्लैमरस निहारते रहे निक जोनास

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने हाल ही में पेरिस फैशन वीक में शिरकत की और इस दौरान की तस्वीरें कपल ने खुद फैंस के साथ शेयर की हैं। पेरिस में चल रहे 'हॉट कुटूर वीक' के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. यह स्टार कपल मशहूर लग्जरी ब्रांड 'डायर' के फैशन शो में एक-दूसरे का हाथ थामे हुए पहुंचा। एक दूसरे के साथ जबरदस्त बॉन्डिंग फ्लॉन्ट करते हुए निक और प्रियंका ने सारी की सारी लाइमलाइट ही लूट ली। प्रियंका चोपड़ा इस समय पेरिस में 2026-2027' एडिशन के लिए मौजूद हैं, जो 6 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई तक चलने वाला है। डायर की ग्लोबल एंबेसडर होने के नाते प्रियंका इस शो की स्पेशल गेस्ट थीं। इस खास मौके पर प्रियंका ने डायर के 'क्रूज 2027' कलेक्शन से एक बेहद खूबसूरत ऑरेंज कलर की मिडी ड्रेस चुनी थी। ड्रेस में लेयर्ड रफल्स, फ्लोरल डिजाइन और एक डीप नेकलाइन थी, जो उनके लुक को बेहद बोल्ड और ग्लैमरस बना रही थी। अपने इस लुक को पूरा करने के लिए प्रियंका ने लाल रंग का मिनी हैंडबैग, ग्रे स्लिंगबैक हील्स और हाथ में एक गोल्डन वॉच पहनी थी। निक जोनास भी अपने स्टाइल से प्रियंका को पूरी टक्कर दे रहे थे। निक ने ग्रीन चेक शर्ट के ऊपर ग्रे कलर का टेलर्ड सूट पहना था, जिसे उन्होंने बेज स्नीकर्स और सनग्लासेस के साथ टीम-अप किया था। दोनों एक साथ परफेक्ट कपल गोल्स दे रहे थे। इसलिए जिन गानों से मैं जुड़ी हूं, उन्हें दर्शकों से इतना प्यार मिलता देखना मेरे लिए बेहद खास है। तरस, हाँ के हाँ और अब मस्कारा - ये तीनों गाने अपने मूड और व्यक्तित्व में पूरी तरह अलग हैं, लेकिन दर्शकों का प्यार इन सभी को समान रूप से मिला है।

रेवा कौरासे ने अपने करियर को लेकर किया खुलासा

बिग बॉस मराठी 6 से मशहूर हुई अभिनेत्री रेवा कौरासे ने हाल ही में अपने करियर को लेकर एक बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। जिसको याद करते हुए वह काफी इमोशनल हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि करियर की शुरूआत में उन्हें एक साउथ फिल्म ऑफर हुई। लेकिन जब उनसे कंप्रोमाइज की डिमांड की गई तो उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था। रेवा कौरासे ने इसको लेकर बात करते हुए बताया कि उन्हें हैदराबाद में बुलाया गया और वहां पर तीन दिनों तक उनका लुक टेस्ट, कैमरा टेस्ट और वर्कशॉप भी हुई थी। अभिनेत्री ने बताया कि 'सब कुछ काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा था और मुझे भी भरोसा हो गया था कि फिल्म मुझे मिल चुकी है। यहां तक कि मुझे साइनिंग अमाउंट भी मिल गया था। साथ ही ये भी कहा गया था कि शुभ दिन पर एग्रीमेंट साइन करवाएंगे।' रेवा कौरासे ने खुलासा किया कि कुछ वक्त के बाद में मेकर्स की तरफ से बातचीत पूरी तरीके से बंद हो गई थी। जब उन्होंने खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें इशारों ही इशारों में बता दिया गया था कि फिल्म के एक प्रोड्यूसर उनसे पर्सनल फीवर चाहते हैं। इस पर हैरानी जाहिर करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि 'मैं बहुत हैरान हो गई थी और तब मेरा करियर शुरू ही हुआ था।

'ऐल्फा' से आलिया भट्ट-शरवरी का फिल्म प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो रिलीज

यशराज फिल्म्स ने 'ऐल्फा' में आलिया भट्ट व शर्वरी पर फिल्माया गया खास प्रमोशनल म्यूजिक वीडियो 'मैसैकर' रिलीज कर दिया है। फिल्म के एंड क्रेडिट्स के बाद दिखने वाले इस म्यूजिक वीडियो में आलिया और शर्वरी अपने दमदार अंदाज, बेखौफ एटीट्यूड और 'ऐल्फा' होने की परिभाषा को बेहद स्टाइलिश और मनोरंजक तरीके से पेश करती नजर आ रही हैं। हाई-एनर्जी ट्रैक को रोहांश व अबीर ने कंपोज किया है, जबकि इसे शिल्पा राव और जोनिता गांधी ने अपनी आवाज दी है। गाने के बोल कौसर मुनीर ने लिखे हैं। इस गाने का ऑडियो पहले ही चर्चा में आ चुका था, जब आलिया और शर्वरी ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान इसकी झलक दिखाई थी। इसके बाद से ही फैंस लगातार इस गाने की रिलीज की मांग कर रहे थे।

ईशा ने की पेरिस फैशन में शिरकत, तस्वीरें वायरल

बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा गुप्ता अपनी फिल्मों या एक्टिंग से ज्यादा फैशन गेम्स को लेकर छाई रहती हैं। अब एक बार फिर से ईशा गुप्ता ने अपनी ऐसी ऐसी तस्वीरें शेयर कर दी है जिन्होंने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। ईशा गुप्ता की ये तस्वीरें कुछ ही मिनटों में आग की तरह वायरल हो रही हैं। ईशा गुप्ता हाल ही में पेरिस फैशन वीक में शिरकत करने के लिए पहुंचीं और इस इंटरनेशनल इवेंट में अपने बोल्ड से हर किसी को इंप्रेस कर दिया है। ईशा गुप्ता अपने इस लुक से इवेंट की जान बन गई हैं। ईशा ने अपनी इस लुक की काफी सारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। ईशा गुप्ता के इस सेंसुअल लुक की बात करें तो इस दौरान उन्होंने ऊपर से पूरा का पूरा नेट वाला गाउन पहना हुआ था। इस ब्रालैस रिस्की आउटफिट्स में अपने एसेट्स को कवर करने के लिए ईशा बूब्स टेप का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही इस दौरान हर किसी की नजर सिर्फ और सिर्फ उनके कर्व्स पर ही थम रही है। ईशा गुप्ता ने अपने इस लुक को रॉयल वाइब्स देने के लिए डायमंड राउंड ईयरपीस के अलावा कोई भी दूसरी ऐसीरीज कैरी नहीं की थीं। इस कारण उनके ये लुक और ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने बालों को काफी सटल अंदाज में बांधा हुआ था।

साथ ही ईशा का डस्की स्मोकी न्यूड मेकअप उनके इस लुक चांर चांद लगा रहा है। इस पोस्ट के सामने आने के बाद लोग कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा, "जली है ये तो सबूत है अमीषा ने खुद ही कर दिया।" एक ने लिखा, "धीरे धीरे से सब अपना अपना जला हुआ धुवां देख रहे हैं।" एक ने लिखा, "इनको इतना काहे बुरा लग रहा है।" एक ने लिखा, "बरनोल मोमेंट।" इस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं।

मां श्वेता ने खोल दी पलक तिवारी की पोल

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं और इस वक्त लगातार काम कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी की गैरमौजूदगी में वो अपने बेडरूम में क्या करती हैं? जी हां, श्वेता तिवारी ने खुद अपनी बेटी का बेडरूम सीक्रेट सबके सामने खोल दिया है और ये काफी हैरान करने वाला है। अक्सर देखा जाता है कि पलक तिवारी और श्वेता तिवारी एक साथ नजर आती हैं और दोनों को साथ में देखकर लोग अक्सर कमेंट्स करते हैं कि दोनों बहनें लगती हैं।श्वेता तिवार और पलक तिवारी का बॉन्ड काफी अच्छा है। पलक के बेडरूम सीक्रेट को खोलते हुए श्वेता ने कहा, "ये बेडरूम में खड़ी होती है और अपने इमैजनरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। दिन भर मेरे वॉरड्रॉब पर, मेरे बेडरूम में, मेरी वॉरड्रॉब पर चॉक से लिखती रहती है।

यहीं तक की अपनी दीवारों पर भी लिखती है। घर में घुसती हूं मैं, हॉल में हर जगह लिखती रहती है। मैं पूछती हूं कि तुम दीवार पर लिखती रहती हो, क्या तुमको बड़े होकर टीचर बनना है? तो ये कहती है, नहीं नहीं मैं तो एक्ट्रेस बनूंगी। मैं इससे कहती हूं कि एक्ट्रेसेस इस तरह से नहीं लिखा करतीं।" श्वेता तिवारी का ये बयान खबरों का हिस्सा है। पलक तिवारी ने सलमान खान के साथ फिल्म किसी का भाई किसी की जान से डेब्यू किया था।

धक्का-मुक्की के बीच राघव की गोद में बैठी शहनाज

राघव जुयाल के बर्थडे के मौके पर कई सितारे पहुंचे और कुछ चौकाने वाले वीडियोज भी सामने आए हैं। पार्टी के बाद बाहर निकलते हुए पहले आर्यन खान भीड़ में फंसे दिखे और राघव और शहनाज का वीडियो सामने आया है।फिल्म किसी का भाई किसी की जान से दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल राघव जुयाल को डेट कर रही हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे शहनाज राघव का हाथ पकड़कर पार्टी से बाहर आती नजर आ रही हैं और आगे आगे आर्यन खान चल रहे हैं। कैसे भीड़ में फंसी शहनाज गिल को राघव जुयाल निकालकर लिए जा रहे हैं। भीड़ की वजह से राघव जल्दी कार में बैठ गए और शहनाज भी उनकी गोद में बैठ गईं। इसके बाद राघव ने उनको उठाकर बगल में बिठा दिया। ये मजेदार वीडियो अब आग की तरह वायरल हो रहा है। हालांकि शहनाज गिल और राघव की तरफ से इस वीडियो पर किसी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। वीडियो पर लोगों के ढेरों रिएक्शन आ रहे हैं।

अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी अध्यक्ष के रूप में 1 साल का दुर्लभ विस्तार

अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में एक दुर्लभ एक वर्षीय विस्तार दिया गया है, जो इस बात का संकेत है कि सरकार भारत के शीर्ष तेल और गैस उत्पादक द्वारा उनके नेतृत्व में हासिल की गई उपलब्धियों को मजबूत करने के लिए निरंतरता चाहती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा लिए गए निर्णय का हवाला देते हुए एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, 63 वर्षीय सिंह 6 दिसंबर, 2026 तक तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के अध्यक्ष बने रहेंगे।2022 में, वे लगभग 60 वर्ष की आयु के पहले ऐसे कार्यकारी बने जिन्हें किसी प्रतिष्ठित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब, एक और अभूतपूर्व कदम के तहत, उनका कार्यकाल 64 वर्ष की आयु तक चलेगा।उद्योग सूत्रों ने बताया कि सिंह ने ओएनजीसी में प्रबंधन में बेहद जरूरी स्थिरता लाई, जिससे कच्चे तेल के उत्पादन में एक दशक से चली आ रही गिरावट को पलटने में मदद मिली। कच्चा तेल पेट्रोल और डीजल बनाने के लिए कच्चा माल है, और प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने, सीएनजी में परिवर्तित करने और ऑटोमोबाइल चलाने और घरेलू रसोई में आग जलाने के लिए किया जाता है।

उनके नेतृत्व में, ओएनजीसी ने अपने प्रमुख मुंबई हाई तेल और गैस क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए सुपर मेजर इढ के साथ एक तकनीकी सहयोग स्थापित किया। इढ के साथ साझेदारी ने क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट को रोकने में मदद की है और अगले वर्ष से सकारात्मक परिणाम दिखाने की संभावना है। सरकार ने लगभग आठ वर्षों तक ओएनजीसी के कुछ प्रमुख लेकिन घटते हुए तेल क्षेत्रों के लिए एक तकनीकी भागीदार लाने के विचार पर विचार किया था, लेकिन यह प्रस्ताव कभी आगे नहीं बढ़ा। अंततः सिंह के नेतृत्व में यह संभव हो पाया।सिंह ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में विलंबित केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 क्षेत्र से तेल उत्पादन की शुरूआत की भी देखरेख की। पटना के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में स्नातक, वे एक सख्त कार्यपालक और तेल एवं गैस क्षेत्र के कामकाज की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं तेल मंत्रालय द्वारा गठित एक खोज-सह-चयन समिति ने अगस्त 2022 में सिंह को चुना, उनके 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने से दो महीने पहले। आवश्यक जांच-पड़ताल के बाद, उन्हें 6 दिसंबर, 2022 से ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। उसी वर्ष अक्टूबर में, उन्होंने भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए। बीपीसीएल में, वे अक्टूबर 2018 से सितंबर 2021 तक निदेशक (विपणन) थे, जिसके बाद उन्हें कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।

प्रवीण एम. खानूजा को ईआईएल के सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ी

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पीएमएनजी) में अतिरिक्त सचिव प्रवीण एम. खानूजा (आईए एंड एएस) को 1 जून से तीन महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया है। वर्तिका शुक्ला के 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के बाद से खानूजा ईआईएल के सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। ईआईएल ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई एक नियामक फाइलिंग में यह जानकारी साझा की है। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने 2 जून, 2026 के अपने पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि सक्षम प्राधिकारी ने अतिरिक्त शुल्क व्यवस्था के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार, खानूजा 1 जून से तीन महीने तक या इस पद पर किसी नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सीएमडी पद का अतिरिक्त प्रभार संभालती रहेंगी। यह नवीनतम विस्तार मार्च 2026 में जारी एक पूर्व सरकारी आदेश के बाद हुआ है, जिसमें खानूजा को ईआईएल के शीर्ष पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इस नई मंजूरी के साथ, यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और ईपीसी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के लिए पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दे देती।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव खानूजा, मंत्रालय में अपनी जिम्मेदारियों के अलावा ईआईएल के मामलों की देखरेख भी कर रहे हैं। ईआईएल एक अग्रणी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) कंपनी है जो हाइड्रोकार्बन और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत है। खानूजा, भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईए&एएस) के 1994 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक और मैनेजमेंट एंड सिस्टम्स में एम.टेक की डिग्री हासिल की है। वर्तमान में वे लोकपाल एवं राष्ट्रीय लेखा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं और रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा और राज्य सरकार लेखापरीक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हैं। इसके अलावा, उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।

Haldiram's
Banao
CHATPATE
PAL AUR
MEETHI
Yaadein!
TRADITION IN EVERY BITE,
HAPPINESS IN EVERY MOMENT.
Crafted with the finest ingredients and authentic recipes.
A perfect blend of savoury snacks and traditional sweets.
Hygienically prepared and packed for your safety.
Loved by millions for generations.
Perfect for every occasion, celebration and craving.
Bringing joy, taste and togetherness to your everyday moments.
From our kitchen to your heart – the Haldiram's promise.
REAL INGREDIENTS. GREAT TASTE. TIMELESS TRADITION.
Taste the tradition. Share the happiness.! | Shop Online @ www.haldiramsonline.com

RNI No.: DELHIN/2014/56304

BIKANERVALA

Traditional Indian Sweets
SINCE 1905

BIKANO is our range of Packaged Namkeens, Sweets, Sherbets, Papad and Pickles with a dependable shelf life. These are popular not only in India but also in the quality conscious overseas markets like Europe, America, Canada, Middle East and many more

VISIT BIKANERVALA OUTLETS IN : INDIA | USA | CANADA | U.A.E. | QATAR | BAHRAIN | UNITED KINGDOM | NEW ZEALAND | SINGAPORE | NEPAL

FOR BULK ORDER / BOOKINGS CALL 9528 214 214, 9971 877 211

Corporate Address: **BIKANERVALA PVT. LTD.** A-27, Lawrence Road Industrial Area, New Delhi - 110035